

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2025—चैत्र 14, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2025

क्र. ई-1-43-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	तालिका	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
		नवीन पदस्थापना	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री रूही खान (2013), पदस्थापना के लिए प्रतिक्षारत्.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—

2069

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री श्यामबीर (2018), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण.	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025

क्र. ई-1-239-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम / बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती रश्मि अरूण शमी, (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 13 मार्च 2025 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-5-1170-आयएस-लीव-5-एक.—श्री विवेक के. व्ही. भाप्रसे (2020), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर का दिनांक 19 से 30 मई 2025 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक के. व्ही. भाप्रसे (2020), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक के. व्ही. भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक के. व्ही. भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

No. E-1170-IAS-Leave-5-I.—(1) Sanction is hereby accorded to Shri Vivek K. V., IAS (2020), Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sagar to avail Ex-India earned leave of 12 days from 19th to 30th May, 2025.

(2) On return from leave Shri Vivek K. V., IAS is again posted as Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sagar on temporary basis until further orders.

(3) Shri Vivek K. V., IAS will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates as he was getting before proceeding on leave.

(4) It is certified that had Shri Vivek K. V., IAS not proceeded on leave, he would have continued to work on his present post.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025

क्र. ई-1-44-2025-5-एक.—श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्री संजय दुबे, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मा. अ. प्र.) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे (1999), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

क्र. एफ. 1 (ए) 76-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, चम्बल को दिनांक 6 से 14 जनवरी 2025 तक, नौ दिवस की लघुकृत / परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 18 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2025

क्र. एफ 1(ए) 108-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा, जोन भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 24 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत कर्नाटक जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|----------------------------|---|--------|
| 1. श्री राजीव कुमार मिश्रा | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती सीमा मिश्रा | — | पत्नी |
| 3. सुश्री राजुल मिश्रा | — | पुत्री |

(2) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे. की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा, जोन भोपाल का चालू कार्य श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा, जोन भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025

क्र. 2745-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था.)-गोप.-2025.—राज्य शासन, श्री राधेश्याम कोचले, मुख्य अनुवादक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में सहायक संचालक अनुवाद, विधायी समिति के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न सहायक संचालक अनुवाद, विधायी समिति के पद पर छठवें वेतनमान में रुपये 9300-34800+4200 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 42700-135100 (लेवल-10) में दिनांक 1 दिसम्बर 2021 से पदोन्नत किया जाता है.

“उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में, समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्र कर्मचारी को वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर-13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरुद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगी. पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा.”

“उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2025

पंजी. क्र. 1181-इक्कीस-ब(दो), 2025.—राज्य शासन, श्री श्यामलाल कुशवाह, नोटरी, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी (टीकमगढ़) के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर समुचित जाँच उपरांत नोटरी नियम, 1956 के नियम 13(ख) (III) के अधीन श्री श्यामलाल कुशवाह, नोटरी, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी (टीकमगढ़) द्वारा “नोटरी के सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार” “चेतावनी” की शास्ति अधिरोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अतिरिक्त सचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025

क्र. 659-2608265-2025-1-उनसठ.—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2022 के बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी. यू. एम. एस.) पाठ्यक्रम के लिये शिक्षा का माध्यम उर्दू या हिन्दी या अन्य कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी अधिसूचित किया गया है. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के द्वारा अधिसूचित उपबंधों के तहत मध्यप्रदेश राज्य में भी यूनानी पाठ्यक्रम की शिक्षा उर्दू के साथ-साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में भी करायी जाएगी.

(2) उक्त व्यवस्था आगामी शिक्षण सत्र 2026-27 से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025

क्र. 547-2477025-2024-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021) की धारा 04 की उपधारा (1) तथा (2) [किशोर न्याय नियम 2022 (नियम 2016) का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये द्वांकित करता है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सदस्य का नाम (3)
1	बुरहानपुर	1 श्रीमती किरण रायकवार सदस्य 2 सतीश चौधरी सदस्य

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2025

क्र. 561-2717894-25-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)	सदस्य का नाम (3)	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4)
1	इन्दौर	इन्दौर	सुश्री निधि शाक्यवार, JMFC
2	रीवा	रीवा	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा, JMFC
3	विदिशा	विदिशा	श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव, JMFC
4	गुना	गुना	श्रीमती रितु श्री गुप्ता, JMFC
5	कटनी	कटनी	श्रीमती सहांगी दुग्गल, JMFC

No. 561-2717894-25-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, (No. 02 of 2016), the State Government hereby, designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)	Name of the District (3)	Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
1	Indore	Indore	Sushri, Nidhi Shakyawar, JMFC
2	Rewa	Rewa	Smt. Vishveshwari Mishra, JMFC
3	Vidisha	Vidisha	Smt. Shivangi Shrivastava, JMFC
4	Guna	Guna	Smt. Ritu Shree Gupta, JMFC
5	Katni	Katni	Smt. Sahangi Duggal, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2025

क्र. एफ TD-2-0001-2025-तेंतीस.—मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक 18, दिनांक 18 फरवरी 2025 के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि :—

1. लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल को डिजाइन निर्माण, वित्त, संचालन हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर जन-निजी भागीदारी (PPP) के अन्तर्गत विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए 60 वर्षों की लीज अवधि जिसे आपसी सहमति से समान शर्तों पर आगामी 10 वर्षों हेतु एक बार बढ़ाया जा सकेगा, की लीज पर दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया जावे.
2. होटल लेक व्यू रेसीडेंसी भोपाल की मध्यप्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में कलेक्टर, भोपाल द्वारा निष्पादित श्यामला हिल्स स्थित खसरा क्रमांक 21/3 में से 7.16 एकड़ की लीज दिनांक 20 जुलाई 2042 तक है, जिसकी लीज अवधि में वर्ष 2042 से 60 वर्ष अर्थात् वर्ष 2102 एकमुश्त वृद्धि किए जाने एवं साथ ही उक्त लीज को निजी निवेशक के पक्ष से MPSTDC-MPHCL द्वारा सबलीज (उपपट्टा) दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया जावे.
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MPSTDC-MPHCL) उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत आगामी अनुवर्ती कार्यवाही करने एवं निविदा शर्तों में आवश्यकता अनुसार नियमानुरूप संशोधन करने के लिए अधिकृत होंगे तथा निविदा के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए पर्यटन विभाग स्वयं सक्षम होगा.

अतः राज्य शासन एतद्वारा मंत्रि-परिषद् निर्णय के पालन में लेक व्यू रेसीडेंसी होटल, भोपाल को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर जन-निजी भागीदारी (PPP) के अन्तर्गत विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए लीज पर दिये जाने के संबंध में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2025

क्र. 132-1445-2018-बीस-3.—मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 1, 2, 3 एवं 6 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों विहित करती है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	कक्षा (2)	विषय (3)	पुस्तक का शीर्षक (4)	माध्यम (5)	प्रकाशक (6)
1	1	गणित	आनंदमय गणित	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल (समस्त पाठ्यपुस्तकों के लिये).
2	2	गणित	आनंदमय गणित	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	
3	3	गणित	गणित मेला	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	
4	3	पर्यावरण अध्ययन	हमारा अद्भुत संसार	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	
5	6	गणित	गणित प्रकाश	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	
6	6	विज्ञान	जिज्ञासा	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	
7	6	सामाजिक विज्ञान	समाज का अध्ययन: भारत और उससे आगे.	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ओ. एल. मण्डलोई, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला – शिवपुरी
वनमण्डल – शिवपुरी

तहसील – पोहरी
वन परिक्षेत्र का नाम – पोहरी

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	मढखंडा (1)	मढखंडा	राजस्व भूमि	53 54 55 56 57	12.02 11.05 07.00 82.40 04.15	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 42 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 27 से 42 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	116.62	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 8-08/2016/एफ सी दिनांक 12.02.2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार की स्वीकृत परियोजना लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित 968.24 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 116.62 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/37/2016-17/अ -20(3) नजूल आदेश दिनांक 05.06.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक
- सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0025-2024-FLR-PCCF .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0025-2024-FLR-PCCF, दिनांक 23 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd March 2025

No./PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tahsil : - Pohari
Forest Range : - Pohari

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Madkheda (I)	Madkheda	Revenue Land	53	12.02	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 42 to 10 via 47 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 15 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 15 to 27 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 27 to 42 of Proposed Protected Forest Block.
				54	11.05	
				55	07.00	
				56	82.40	
				57	04.15	
				Total	116.62	

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi order No 8-08/2016/FC dated 12.02.2019 and in lieu of 968.24 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower Orr Major Irrigation Project (Ken Betwa link project) of Project Manager Orr river PMU Bamorkala, Shivpuri, the above mentioned Non Forest Land of 116.62 hectare transferred or mutated in favor of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 37/2016-17/A -20 (3)NAZUL Order dated 05-06-2017 for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Pohari are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil.

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0092/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी
वनमण्डल - शिवपुरी

तहसील - करैरा
वन परिक्षेत्र - करैरा

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	नया अमाला	सिरसाद	राजस्व भूमि	4780	13.00	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 15 होते हुये 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	13.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 8 - सी / 2/2004 - एफ सी डब्लू / 432 दिनांक 04.03.2005 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना 132 के वही. मड़ीखेड़ा करैरा विद्युत लाईन में प्रभावित 13.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 13.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक/भू अर्जन/03/आदेश दिनांक 04.03.2003 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0092-2024-FLR-PCCF .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0092-2024-FLR-PCCF, दिनांक 23 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd March 2025

No./PCCF/7/0092/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Shivpuri
Forest Division : - Shivpuri
Karera

Tahsil : - Karera
Forest Range :-

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	New AMOLA	Sirsod	Revenue Land	4780	13.00	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 3 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 11 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 14 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 1 via 15 of Proposed Protected Forest Block.
				Total	13.00	

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No. 8-C/2/2004- FCW/432 dated 04-03-2005 and in lieu of 13.00 hectare of affected forest land under the sanctioned 132 KV Madikheda Karera Electric Line Project of Addl. Superintending Engineer E.H.T.(C&M) Dn. M.P. State Elect. Board Gwalior the above mentioned Non Forest Land of 13.00 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No Bhu arjan /2003/ Order dated 04-03-2003 of 13.00 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Karera are as under.

1. Individual Rights - Nil.
2. Community Rights - Nil.

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0055/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-सागर

तहसील - केसली

वनमण्डल- दक्षिण सागर (सामान्य)

वन परिक्षेत्र - केसली

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	नयागाव (अ)	नयागाव	शासकीय वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	27/1/1/2(S)	16.500	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 25 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 25 से 34 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 34 से 40 एवम 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	16.500	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक/8-53-2009-FC(Vol.) दिनांक 26.10.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपालकी स्वीकृत परियोजना मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र, रायसेन में प्रभावित रकबा 16.268 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक/राजस्व प्रकरण क्रमांक-0082/अ/20(3) वर्ष 2023-24 पारित आदेश दिनांक 24.12.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण-

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार केसली के द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- व्यक्तिगत अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।
- सामुदायिक अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0055-2025-FLR-PCCF .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0055-2025-FLR-PCCF, दिनांक 26 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 26th March 2025

No./PCCF/7/0055/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Sagar

Tehsil- Sagar

Forest Division- South Sagar

Range- Sagar

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.		
1	Nayagaon (A)	Nayagaon	Government Forest Department M.P. Land Government Institute	27/1/1/2(S)	16.500	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 8 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to 25 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 25 to 34 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 34 to 40 and 1 of Proposed Protected Forest Block.	
				TOTAL	16.500		

(A) Reason for publication of Notification:-

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India, New Delhi order No/8-53-2009-FC(Vol.)

dated 26-10-2021 in lieu of 16.268 hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Industrial Area Mandideep Raisen (M.P.)** of **industrial center development of corporation Bhopal** the above mentioned non forest land of 16.500 hectare transferred or muted in Favor of M.P. Govt., Forest Department by Collector Sagar order no.0082A/20(3) Year-2023-24 date 24-12-2024 for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other reasons- Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar **Kesli District Sagar** are as under.

1. **Rights of individuals:-** Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights.

2. **Rights of communities:-** Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0022/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - विदिशा

तहसील - सिरोंज

वनमंडल- विदिशा

वन परिक्षेत्र-सिरोंज

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मूद	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	जहूरपुर	जहूरपुर	'शासकीय भूमि (चरनोई)	1 (भाग)	4.435	उत्तर- संरक्षित वनखंड हरीपुरा के मुनारा क्रमांक 11 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 12 से 10 एवं 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				योग	4.435	पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से संरक्षित वनखण्ड हीरपुरा के मुनारा क्रमांक 11 तक की वनसीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/6-एमपीबी 109/2012-बीएचओ/328 दिनांक 22/02/2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल की स्वीकृत परियोजना- सिरोंज बायपास मार्ग में प्रभावित क्षेत्र 4.435 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.435 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.435 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदिशा के आदेश क्रमांक प्र.क्र.10/अ-19/11-12 दिनांक 06/02/2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रतिवेदन क्रमांक 0066 दिनांक 20/11/2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: -नहीं।

2. सामुदायिक अधिकार: -नहीं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0022-2025-FLR-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0022-2025-FLR-PCCF, दिनांक 26 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 26th March 2025

No./PCCF/7/0022/2025-FLR-PCCF:: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Vidisha

Tahsil : - Sironj

Forest Division: - Vidisha

Forest Range : - Sironj

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	Zahoorpur	Zahoorpur	Government Land (Chamoi)	1 (Part)	4.435	North- Artificial forest boundary from Pillar number 11 of the protected forest block Haripura to Pillar number 12, 10, and 1 of the proposed protected forest block.

						East - Artificial forest boundary from Pillar number 1 to Pillar number 2 of the proposed protected forest block.
						South- Artificial forest boundary from Pillar number 2 to Pillar number 6 of the proposed protected forest block.
				Total	4.435	West- Forest boundary from Pillar number 6 of the proposed protected forest block to Pillar number 11 of the protected forest block Haripura.

A. Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No.6 -MPB 109/2012-BHO/328 Date 22/02/2013 and in lieu of M.P. Road Development Corp. Ltd. Department Area - 4.435 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sironj By Pass Road of M.P. Road Development Corp. Ltd. Department. The above mention Non Forest land of 4.435 hectare transferred or muted in favor of M.P. Government forest Department by order Number /10/A-19/11-12 dated 06/02/2012 of District Collector Vidisha for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- NIL

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 0066 dated 20/11/2024 of Tehsildar, Sironj are as under.

1. Individual Rights -Nil
2. Community Rights – Nil

There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0045/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - विदिशा

तहसील - लटेरी

वनमंडल- विदिशा

वन परिक्षेत्र-लटेरी दक्षिण

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	दपकन	दपकन	खाल खह्तर शासकीय भूमि	177 वर्तमान में 167 (भाग)	16.302	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.5 से मुनारा क्रमांक 10 तक एवं मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से संरक्षित वनखंड लटेरी के मुनारा क्रमांक 813 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड लटेरी के मुनारा क्र. 813 से मुनारा क्रमांक 820 तक की वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड लटेरी के

			योग	16.302	मुनारा क्र.820 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 5 तक की कृत्रिम वन सीमा।
--	--	--	-----	--------	---

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत निम्नानुसार परियोजनाओं में प्रभावित वनभूमि के बदले में प्राप्त गैर वनभूमि:-

क्र.	परियोजना का नाम	प्रभावित वनभूमि	कलेक्टर का गैर वनभूमि हस्तांतरण आदेश क्र. दिनांक	हस्तांतरित गैर वनभूमि हे० में	भारत सरकार की स्वीकृति क्र./ दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	जमुनिया कलां लघु सिंचाई परियोजना	5.400	कलेक्टर जिला विदिशा के आदेश क्रमांक प्र.क्र./22/अ-19/08-09 दिनांक 17/ 02/ 2009	16.302	6-MPC 032/2009-BHO/ 2892 dt 27-11-2009
2	हुसैनपुर लघु सिंचाई परियोजना	2.500			6MPB 042/2010-BHO/ 1129 dt 21-06-2010
3	बीजखेड़ी, लघु सिंचाई परियोजना	0.990	---		व.म.अ. विदिशा का पत्र क्र/2155 दि.20/4/2010
4	तिलौनी, लघु सिंचाई परियोजना,	0.990	---		व.म.अ. विदिशा का पत्र क्र/2157 दि.20/4/2010
5	चित्तवर लघु सिंचाई परियोजना	0.970	---		व.म.अ. विदिशा का पत्र क्र/2161 दि.20/4/2010
6	सौजना लघु सिंचाई परियोजना	0.980	---		अविष्य में समायोजन हेतु
7	सेमलखेड़ी, लघु सिंचाई परियोजना	4.442	---		अविष्य में समायोजन हेतु
	योग	16.272		16.302	

संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा के उपरोक्त जलाशय निर्माण के प्रकरणों में प्रभावित कुल 16.272 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपरोक्त वर्णित 16.302 हेक्टेयर गैर-वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदिशा के आदेश क्रमांक प्र.क्र./22/अ-19/08-09 दिनांक 17/02/2009 से हस्तांतरित/ नामांतरित किये जाने के कारण।

2.अन्य करणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार-लटेरी (पद का नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू/रीडर/10/1141 दिनांक 16/09/2010 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: -नही।
2. सामुदायिक अधिकार: -नही।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0045-2025-FLR-PCCF .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0045-2025-FLR-PCCF, दिनांक 26 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 26th March 2025

No./PCCF/7/0045/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act Applicable to the Forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULEDistrict - **Vidisha**Tahsil - **Lateri**Forest Division - **Vidisha**Forest Range - **Lateri (South)**

S.No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hec)	
1	Dapakan	Dapakan	Khal Khadadar Government Land	177 In present 167 (Part)	16.302	North- Artificial forest boundary from pillar no. 05 to 10 and 10 to 01 of proposed protected forest block. East- Artificial Forest boundary from pillar no. 01 of proposed protected forest block to pillar no. 813 of protected forest block Lateri. South- Forest boundary from pillar no. 813 to 820 of protected forest block Lateri. West- Artificial forest boundary from pillar no. 820 of protected forest block Lateri to pillar no. 05 of proposed protected forest block.
			Total	01	16.302	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. Non-forest land received in lieu of affected forest land in the following projects approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India: -

Name of project	Affected	Collector's	Transferred non forest	Government of India Approval
-----------------	----------	-------------	------------------------	------------------------------

S.No.		Forest Land in hectare	Transfer order number and date of non forest land	land in hectare	Order number and date
1	Jamunia kalan Minor Irrigation Projects.	5.400	order Number- <u>22/A-19/08-09 Date 17/02/2009</u> of District Collector Vidisha	16.302	6-MPC 032/2009-BHO/ 2892 dt 27-11-2009
2	Husainpur, Minor Irrigation Projects.	2.500			6MPB 042/2010-BHO/ 1129 dt 21-06-2010
3	Bijukhedi, Minor Irrigation Projects.	0.990			Letter No. /2155 dated 20/4/2010 of Divisional Forest Officer, Vidisha
4	Tiloni, Minor Irrigation Projects.	0.990			Letter No. /2157 dated 20/4/2010 of Divisional Forest Officer, Vidisha
5	Chitawar Minor Irrigation Projects.	0.970			Letter No. /2161 dated 20/4/2010 of Divisional Forest Officer, Vidisha
6	Saujana Minor Irrigation Projects.	0.980			To be adjusted in future
7	Semalkhedi, Minor Irrigation Projects	4.442			To be adjusted in future
	Total	16.272		16.302	

A. Reason for publication of Notification :-

1. In lieu of 16.272 hectares affected forest land in above cases of Minor Irrigation Projects of Sanjay Sagar Project Bah River Division Ganjbasoda District Vidisha. For compensatory afforestation 16.302 Hectare above mentioned non-forest land has been transferred/mutated in favor of Madhya Pradesh Govt. forest department. by order Number- 22/A-19/08-09 Date 17/02/2009 of District Collector Vidisha for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons -

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No./Q/Reader/10/1141 Date 16/09/2010 of **Tesildar (Lateri)** are as under.

1. Individual Rights – NIL
2. Community Rights – NIL

Therefore, the above land is being declared as Protected forest under section -29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0064/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधनों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - उज्जैन

तहसील - खाचरौद

वनमण्डल - उज्जैन

वन परिक्षेत्र -उज्जैन

क्र.	वनखण्ड की भूमि विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान पद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
	दिवेल	ग्राम दिवेल	गैर वन भूमि	657 862 866 887 546 547 655 656	5.70 12.95 0.95 16.55 1.53 11.70 15.45 0.70	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 63 से मुनारा क्र. 70 एवं मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से मुनारा क्र. 41 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 41 से मुनारा क्र. 63 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग		65.53	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल (म.प्र.) के आदेश क्रमांक 6-MPC 020/2016-BHO/898 दिनांक 28-11-2017 में व्यपवर्तित भूमि 15.310

हेक्टेयर, आदेश क्रमांक 6-MPC 023/2016-BHO/152 दिनांक 10-02-2020 में व्यपवांतित भूमि 8.16 हेक्टेयर (Out of 11.926 हे.) एवं आदेश क्रमांक 6-MPC 018/2016-BHO/058 दिनांक 15-01-2020 में व्यपवर्तित भूमि 26.245 हेक्टेयर में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश रोड डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 ए बरेला से मण्डलाखण्ड पैकेज 2 (मण्डला पश्चिम), राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 ए मण्डला से चिल्पीखण्ड पैकेज 3 (मण्डला पूर्व) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 ए कान्हा बफर झोन पैकेज 3 में प्रभावित 53.481 हे. वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.53 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 65.53 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 48/अ-20/15-16 (नजूल) दिनांक 24-06-2016 द्वारा हस्तान्तरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के प्रतिवेदन क्रमांक 246 दिनांक 15-04-2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार

है –

1. व्यक्तिगत अधिकार – निरंक

2. सामुदायिक अधिकार – निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0064-2025-FLR-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0064-2025-FLR-PCCF, दिनांक 27 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2025

No./PCCF/7/0064/2025-FLR-PCCF :: In Exercise of the power conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE**District :- Ujjain****Tehsil :- Khachrod****Forest Division :- Ujjain****Forest Range :- Ujjain**

S. No.	Name of Proposed Forest block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Divel	Village Divel	Non Forest Land	657 862 866 887 546 547 655 656	5.70 12.95 0.95 16.55 1.53 11.70 15.45 0.70	North— Artificial Forest Boundary From Pillar No. 63 to Pillar No. 70 and Pillar No. 1 of Protected Forest Block. East - Artificial Forest Boundary From Pillar No. 1 to Pillar No. 13 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest Boundary From Pillar No. 13 to Pillar No. 41 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary From Pillar No. 41 to Pillar No. 63 of Protected Forest Block.
				Total	65.53	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's Regional Office western Region Bhopal M.P. order No. 6-MPC 020/2016-BHO/898, Dated 28-11-2017 Diversion of 15.310 ha., order No. 6-MPC 023/2016-BHO/152, Dated 10-02-2020 Diversion of 8.16

ha. (Out of 11.926 ha.), order No. 6-MPC 018/2016-BHO/058, Dated 15-01-2020 Diversion of 26.245 ha. And in lieu of 53.935 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rashtriya rajmarg kramank 12 A Barela to Mandlakhand package- 2 (Mandla west), Rashtriya rajmarg kramank 12 A Mandla to Chilpikheda package- 3 (Mandla East), Rashtriya rajmarg kramank 12 A Kanha Buffer Zone package- 3 of M.P. Road Development Corporation Limited, Jabalpur, District Jabalpur (M.P.) the above mentioned Non Forest land of 65.53 hectare transferred or muted in favor of M.P. govt., Forest Department by Order No. 48/अ-20/15-16 (नजूल) dated 24-06-2016 of Collector District Ujjain for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of Other Reasons :- NIL

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 246 dated 15-04-2019 of Tehsildar, Tehsil Khachrod, District Ujjain area as under.

1. Rights of Individuals :- NIL

2. Rights of Communities :- NIL

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2025

क्र. एफ 1-11-0001-2024-सात-4.—विभागीय अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 2024 द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। इसका प्रारंभिक कार्यकाल एक वर्ष था।

विभागीय अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता अनुसार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आयोग द्वारा अपनी अनुशंसाएं राज्य शासन को अभी प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

सागर, दिनांक 26 मार्च 2025

मौजा पहरगुवां, पट. ह. नं. 60, तहसील बांदरी

क्र.-0020-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-2890.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम नगर परिषद् के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

- | | | |
|-----|--|---|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम | परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू., जल संसाधन विभाग, सागर. |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत एग्रोच चैनल एवं पंप हाऊस निर्माण हेतु. |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण. | <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मालधौन 2. राजस्व निरीक्षक, बांदरी 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बांदरी 4. श्री कल्याण सिंह लोधी, पार्षद, नगर परिषद्, बांदरी |
| (4) | भूमि का विवरण.— | |
| | (क) जिला | सागर |
| | (ख) तहसील | बांदरी |
| | (ग) ग्राम / नगर | पहरगुवां |
| | (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 9.980 हे. |
| | (ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र | 9.980 हे. |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण | बण्डा सिंचाई परियोजना |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 3026.82 हे. |
| (7) | क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है. | नहीं |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख. | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा हनौता उबारी, पट. ह. नं. 16, तहसील बण्डा

क्र.-0021-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-2891.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

- | | | |
|-----|--|---|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम | परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू., जल संसाधन विभाग, सागर. |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र एवं पंप हाऊस निर्माण हेतु. |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण. | 1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बण्डा
2. राजस्व निरीक्षक, बहरोल
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हनौता उबारी, वि.ख. बण्डा
4. सचिव, ग्राम पंचायत हनौता उबारी, वि.ख. बण्डा |
| (4) | भूमि का विवरण.— | |
| | (क) जिला | सागर |
| | (ख) तहसील | बण्डा |
| | (ग) ग्राम / नगर | हनौता उबारी |
| | (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 5.50 हे. |
| | (ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र | 5.50 हे. |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण | बण्डा सिंचाई परियोजना |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 3026.82 हे. |
| (7) | क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है. | नहीं |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख. | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा अटाटीला, पट. ह. नं. 62, तहसील बांदरी

क्र.-0024-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-2892.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम नगर परिषद् के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

(1)	परियोजना विकासक का नाम	परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू., जल संसाधन विभाग, सागर.
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत एग्रोच चैनल एवं पंप हाऊस निर्माण हेतु.
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण.	1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मालथौन 2. राजस्व निरीक्षक, बांदरी 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बांदरी 4. श्री कल्याण सिंह लोधी, पार्षद, नगर परिषद्, बांदरी
(4)	भूमि का विवरण.—	
	(क) जिला	सागर
	(ख) तहसील	बांदरी
	(ग) ग्राम / नगर	अटाटीला
	(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	0.350 हे.
	(ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र	0.350 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बण्डा सिंचाई परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	3026.82 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है.	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-78-भू-अर्जन-2025

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी 2025

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

—: अनुसूची (1) :—

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	रामपुरा	0.885	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन	" रोशिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु "

—: अनुसूची (2) :—

" रोशिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु " ग्राम- रामपुरा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे)
86/1, 86/2, 86/3, 87/2, 88/1	0.885

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-77-भू-अर्जन-2025

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

—: अनुसूची (1) :—

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	रोशिया	4.407	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन	" रोशिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु "

—: अनुसूची (2) :—

" रोशिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु " ग्राम- रोशिया की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/14, 3/15, 3/19, 3/20, 4/1, 4/2, 4/3, 26/4, 26/5, 28, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 30, 31/1/1, 31/1/2, 31/2, 159, 164/2/1, 164/2/2, 165/1, 165/2/2, 179, 181/2, 221, 222	4.407

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-558-भू-अर्जन-2025

सीधी, दिनांक 21 मार्च 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	विसैधाटोला
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	जोगीपुर दक्षिण
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.3370 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	303/1/1	0.0100	सुगवा पुत्री भिममा राम 1/75, बाल्मीक प्रसाद पुत्र जगताराम 3/25, गजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामहित राम 1/75, कृपाशंकर पुत्र रामखेलावन राम 1/375, सत्यप्रसाद पुत्र सम्पति राम 3/125, जुडमनिया बेवा बंशपती 3/250, भाईलाल पुत्र बृहस्पति राम 2/25, रामकली बेवा रघुनाथ राम 2/75, दयाशंकर पुत्र रामखेलावन राम 1/375, रमाशंकर पुत्र रामखेलावन राम 1/375, जैमुनिया देवी पुत्र गुलाब राम 1/100, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गुलाब राम 1/100, संतोष प्रसाद पुत्र गुलाब राम 1/100, कमलेश प्रसाद पुत्र गुलाब राम 1/100, अनिल कुमार पुत्र गुलाब राम 1/100, गायत्री बेवा रमेश कुमार 1/300, आशीष पुत्र रमेश कुमार 1/300, आदर्श पुत्र रमेश कुमार 1/300, पतिराम राम पुत्र रघुनाथ राम 2/75, ममता बेवा सुरेन्द्र प्रसाद 2/375, सोनम पुत्री सुरेन्द्र प्रसाद 2/375, सबनम पुत्री सुरेन्द्र प्रसाद 2/375, सुमिति नाबा० पुत्री सुरेन्द्र प्रसाद 2/375, समीर नाबा० पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद 2/375, मुन्नी पुत्री सम्पति राम 3/125, मोहनलाल पुत्र सम्पति राम 3/125, मुलई पुत्र सम्पति राम 3/125, लालबहादुर पुत्र सम्पति राम 3/125, रुक्मणि पुत्री सम्पति राम 3/125, आनंद प्रसाद पुत्र सम्पति राम 3/125, पंचू पुत्र सम्पति राम 3/125, घनेश प्रसाद पुत्र सम्पति राम 3/125, लीलावती बेवा शंकर राम 3/250, दीपक कुमार पुत्र शंकर राम 3/250, रामकली बेवा गोपाल प्रसाद शर्मा 1/25, विनोद कुमार पुत्र गोपाल प्रसाद शर्मा 1/25, अशोक कुमार पुत्र गोपाल प्रसाद शर्मा 1/25, सोमवती बेवा नर्वदा प्रसाद 3/200, सूर्यनारायण पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, उपेन्द्र प्रसाद पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, राजकुमार पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, बृजेन्द्र प्रसाद पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, शैलेन्द्र प्रसाद पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, उर्मिला पुत्री नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, नीता पुत्री नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, बिट्टी पुत्री गुलाबराम 1/100, शकुंतला पुत्री गुलाबराम 1/100, भूपनारायण पुत्र रामखेलावन राम 1/375, देवेन्द्र प्रसाद पुत्र रामखेलावन राम 1/375, हिन्डलाल पुत्र बंशपती प्रसाद 3/250, श्यामलाल पुत्र बंशपती प्रसाद 3/250, विद्यानंद पुत्र बंशपती प्रसाद 3/250, विनोद प्रसाद पुत्र बंशपती प्रसाद 3/250, रंगू पुत्री बंशपती प्रसाद 3/250, गावें पुत्री बंशपती प्रसाद 3/250, जिवरनिया पुत्री बंशपती प्रसाद 3/250, ज्ञानवती पुत्री बंशपती प्रसाद 3/250
7	317	0.0450	बैद्यनाथ पटेल पुत्र बंशपती पटेल 356 / 2100, श्यामकली पटेल पत्नी सत्यनारायण पटेल 178/2100, मंजू पटेल पत्नी प्रमोद कुमार पटेल 178/2100, चन्द्रकली पटेल पत्नी विनोद कुमार पटेल 356/2100, आशा पटेल पत्नी राघवेन्द्र पटेल 427/2100, उषा पटेल पत्नी वसुधेन्द्र पटेल 427/2100, सरोज पटेल पत्नी प्रमोद कुमार पटेल 178/2100,
8	281/2	0.0040	पंकज पाण्डेय पिता बाल्मीक पाण्डेय
9	281/3	0.0040	प्रवीण पाण्डेय पिता बाल्मीक पाण्डेय
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.3370	—

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-554-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- सीधी
(ख) तहसील :- गोपद बनास
(ग) ग्राम :- पडैनियाखुर्द
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- पडैनियाखुर्द
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 0.035 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	6/2	0.035	सूर्यनन्दन सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/80, अश्वनी सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह 1/60, फूलकुमारी सिंह पत्नी श्यामलाल सिंह 1/60, शीतला पुत्री सोहबतसिंह पत्नी अजमेर सिंह 1/5, अजय सिंह पिता लालबहादुर सिंह परिहार 1/80, लालजी सिंह पुत्र ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, राजेश सिंह पुत्र ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, रमेश सिंह पुत्र ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, सुरेश सिंह पुत्र ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, पनउआ बेवा ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, गीता पुत्री ऐवीलाल सिंह 1/180, ममता पुत्री ऐवीलाल सिंह 1/180, उर्मिला पुत्री ऐवीलाल सिंह 1/180, जगतबहादुर सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/80, राजकिशोर सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/80, राजकुमार सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/80, मोहन सिंह पुत्र कुहरू सिंह 1/20, राजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र अवधराज सिंह 1/20, जगन्नाथ सिंह पुत्र कलिंजर सिंह 1/10, लालबहादुर सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह 1/80, राजबहादुर सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह 1/40, प्रतिमा सिंह पुत्री बबूलाल सिंह 1/40, तारावती सिंह बेवा सुरेन्द्र सिंह 1/80, संतोष सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह 1/80, रामलाल सिंह पुत्र कमलभान सिंह 1/30, धनंजय सिंह पुत्र कमलभान सिंह 1/30, विजय कुमार सिंह पुत्र आशुतोष सिंह 1/20, अरुण कुमार सिंह पुत्र आशुतोष सिंह 1/20, चिंतामणि सिंह पुत्र नरहर सिंह 1/5, सविता पुत्री ऐवीलाल सिंह 1/180,
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.035	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-544-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

:- अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- सीधी
 (ख) तहसील :- गोपद बनास
 (ग) ग्राम :- उपनी
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- उपनी
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 0.1260 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे. में	विवरण
1	2	3	4
1	190/1	0.0370	रामखेलावन पिता दशरथ साहू 1/6, सावित्री साहू पति बुद्धसेन साहू 2/36, मुन्नी साहू पति निहोरेलाल साहू 2603/16947, पंचम पिता दशरथ साहू 37881/305046, सुकुरी वेवा राजमणि 1/30, हर्षलाल पिता राजमणि 1/30, रामनिहोर पिता राजमणि 1/30, रामाधार पिता राजमणि 1/30, बुद्धसेन पिता राजमणि 1/30, वंशमणि पिता रघुनन्दन 1/18, समयलाल पिता सुखनन्दन साहू 1/12, बबू साहू पिता सुखनन्दन साहू 1/12, उमेश साहू पिता श्रीपति साहू 1/36, अशोक साहू पिता श्रीपति साहू 1/36, जगन्नाथ पिता श्रीपति साहू 1/36, कुसमी पुत्री श्रीपति साहू 1/36
2	101/1	0.0120	
3	144/1	0.0050	सूर्यकांत तिवारी पुत्र त्रिभुवन राम
4	143/1/1	0.0200	
5	153/1/2	0.0150	अंशुमान सिंह पिता गोपाल सिंह
6	153/1/1	0.0150	यादवेन्द्र सिंह पिता गोपाल सिंह
7	180/2/1/1	0.0220	श्रीमती कमला देवी पत्नी विनोद कुमार पाण्डेय
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.1260	—

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-546-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	मडवा
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	मडवा
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.7450 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	900	0.0950	राघोमान सिंह पिता बांकलाल सिंह 1/3 निर्जला सिंह बेवा सत्यमान सिंह 1/12 अनुराग सिंह पिता सत्यमान सिंह 1/12 अभिषेक सिंह पिता सत्यमान सिंह 1/12 आदर्श सिंह पिता सत्यमान सिंह 1/12 वीरमान सिंह पिता बांकलाल सिंह 1/3
2	901	0.1100	निर्मला सिंह पत्नी वीरमान सिंह 13/108 श्रीमती स्नेह शीला सिंह पत्नी राघोमान सिंह 13/108 श्री मती निर्जला सिंह पत्नी सत्यमान सिंह 13/108 जग्यराज सिंह पिता शोभा सिंह 1/6 कन्हैया लाल सिंह पिता गुलाब सिंह 1/12 राजकुमारी पुत्री गुलाब सिंह 1/12 संतुलवा पुत्री गोपाल सिंह 1/36 पतबा पुत्री गोपाल सिंह 1/36 राघवमान सिंह पिता बांकलाल सिंह 2/9 रमेश सिंह पिता उदय मान सिंह 1/36
3	904	0.0500	
4	902	0.0100	आशादेवी बेवा अंजनी कुमार सिंह 1/24 अखंड प्रताप सिंह पिता अंजनी कुमार सिंह 1/24 अर्जुन सिंह पिता कैलाश सिंह 1/8 अनुज प्रताप सिंह पिता कैलाश सिंह 1/8 श्री मती कुशुम सिंह पत्नी अनुज प्रताप सिंह 1/8 नागेन्द्र प्रताप सिंह पिता फुलवंत सिंह 1/6 गीता सिंह बेवा अमयराज सिंह 1/8 अशोक कुमार सिंह पिता अमय राज सिंह 1/8 विक्रम सिंह पिता अमय राज सिंह 1/8
5	903	0.1200	
6	951	0.3600	सुरेश पिता गोपाल 1/54 रामाधार नामदेव पिता मनबहोर नामदेव 1/12 कैलास प्रसाद नामदेव पिता मनबहोर नामदेव 1/12 शकुन्तला साहू बेवा केदार साहू 5/9600 सुरेश साहू पिता केदार साहू 5/9600 मुकेश साहू पिता केदार साहू 5/9600 शिवम साहू पिता केदार साहू 5/9600 पंकज साहू पिता केदार साहू 5/9600 कल्पना साहू पुत्री केदार साहू 5/9600 सुशीला साहू पुत्री केदार साहू 5/9600 आरती साहू पुत्री केदार साहू 5/9600 रामवती पुत्री गोपाल 1/54 सुमित्री पुत्री गोपाल 1/54 शेषमणि पिता भैरम 1/18 लक्ष्मिनिया बेवा गोविन्द 1/54 दलमंजन पिता गोविन्द 1/54 भुआल पिता गोविन्द 1/54 कौशल्या बेवा रजवा 1/48 हनुमान पिता रजवा 1/48 मलुआ पिता रजवा 1/48 शिवमूरति पिता रजवा 1/48 रामकरन पिता नर्वदा 1/45 विशाले पिता नर्वदा 1/45 सिपाहीलाल पिता नर्वदा 1/45 गिरधरी पिता गजाधर 1/90 शिवधारी पिता गजाधर 1/90 मटुकधारी पिता गजाधर 2/45 तिलकधारी पिता गजाधर 2/45 हंशराज पिता गजाधर 2/45 रामखिलावन पिता गजाधर 2/45 उदयमान पिता कुमार 1/80 लोले पिता कुमार 1/80 रघुराज पिता कुमार 5/1200 बट्टी पिता मथुरा 1/60 राजबहोर पिता बट्टी 1/180 संतलाल पिता बट्टी 1/180 सविता पति लल्लू 1/180 रेखा साहू पति बाबूलाल साहू 1/24 अनोज साहू पति आत्माराम साहू 1/24 सुरेश साहू पिता सुभान साहू 1/12, दिनेश कुमार साहू पिता सूर्यमान साहू 1/12
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.7450	—

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-548-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- सीधो
 (ख) तहसील :- गोपद बनास
 (ग) ग्राम :- टेढ़वाटोला
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- मडवा
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 0.1900 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे. में	विवरण
1	2	3	4
1	25/1	0.0800	दिव्यांस मिश्रा, अनन्त मिश्रा पिता मुनीष कुमार मिश्रा
2	26/1/1	0.0280	सुशील कुमार गुप्ता पिता पन्नालाल गुप्ता
3	26/1/2	0.0280	राजकुमार जायसवाल पिता बुद्धी जायसवाल
4	26/2	0.0160	सविता भुजवा पत्नी राममिलन भुजवा
5	26/3	0.0280	बुट्टन कोल पिता रामजी कोल
6	99/2	0.0100	बुद्धि पिता बल्देव जायसवाल
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.1900	—

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-556-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	मुगवारी
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	मडवा
(ङ.)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.4920 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	27	0.0800	श्रीमती सुषमासिंह पत्नी दधीच कुमार सिंह 23/480 इन्द्रमणि प्रसाद तिवारी पिता मंगल राम तिवारी 21/160 श्रीमती इन्द्रवती देवी पत्नी इन्द्रमणि तिवारी 1/20 श्रीमती बिन्दू सिंह पत्नी धीरेन्द्र कुमार सिंह 11/240 बंश बहोरन सिंह पिता हीरा लाल सिंह 1/60 राजकरन सिंह पिता हीरालाल सिंह 1/60 सविता सिंह बेवा कृष्ण कुमार सिंह 1/100 दधीच कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 जीवेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 शैलेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 धीरेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 नोखेलाल सिंह पिता शिवनाथ सिंह 11/120 मंगलेश्वर सिंह पिता शम्भू सिंह 11/480 उधलेश बेवा संतोष सिंह 11/1920 कमलाकर सिंह पिता संतोष सिंह 11/1920 जया पुत्री संतोष सिंह 11/920 ज्योति पुत्री संतोष सिंह 11/1920 लखेश्वरी बेवा त्रिवेणी सिंह 11/480 अशोक कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 श्रवण कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 सूर्यवली पिता राम प्रसाद राम ब्रा. 1/8 मुनीश कुमार पिता राम किशोर ब्रा. 1/8 निर्मला बेवा रामगोपाल 1/40 विपिन पिता रामगोपाल 1/40 श्रीमान पिता मंगल राम 1/20 चन्द्रवली सिंह पिता गुलाब सिंह 1/16 श्री मती साधना सिंह पत्नी आनन्द बहादुर सिंह 11/480
2	28	0.1000	
3	29	0.0600	श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी दधीचकुमार सिंह 1/60 प्रियांशु सिंह पिता लाल बिहारी सिंह 1/32 धनेश्वरी बेवा शंभू सिंह 11/480 वीरेन्द्र बहादुर पिता शंभू सिंह 11/480 वंशबहोरन पिता हीरालाल सिंह 1/60 राजकरन सिंह पिता हीरालाल सिंह 1/60 सविता सिंह बेवा कृष्ण कुमार सिंह 1/100 दधीच कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 जीवेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 शैलेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 धीरेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 नोखेलाल सिंह पिता शिवनाथ सिंह 11/120 मंगलेश्वर सिंह पिता शंभू सिंह 11/480 उधलेश बेवा संतोष सिंह 11/1920 कमलाकर सिंह पिता संतोष सिंह 11/1920 जया पुत्री संतोष सिंह 11/1920 ज्योति पुत्री संतोष सिंह 11/1920 लखेश्वरी बेवा त्रिवेणी सिंह 11/480 अशोक कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 राजकुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 श्रवण कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 सूर्यवली पिता रामप्रसाद राम 1/8 मुनीश कुमार पिता रामकिशोर 1/8 निर्मला बेवा रामगोपाल 1/40 विपिन पिता राम गोपाल 1/40 श्री भान पिता मंगल राम 1/20 इन्द्रमणि पिता मंगल राम 1/10 शीला पुत्री रामकृपाल 1/20 चन्द्रवली सिंह पिता गुलाब सिंह 1/16 राजकरण सिंह पिता लाल बिहारी सिंह 1/32
4	24/1	0.1440	
5	32/1	0.0060	
6	30	0.0040	निर्मला बेवा रामगोपाल राम 1/10 श्री मती इन्द्रवती देवी पत्नी इन्द्रमणि राम तिवारी 1/5 विपिन पिता राम गोपाल राम ब्रा. 1/10 श्री भान प्रसाद पिता मंगल राम ब्रा. 1/5 इन्द्रमणि प्रसाद पिता मंगल राम ब्रा. 2/5
7	23/1/1	0.0600	निर्मला बेवा रामगोपाल 1/2 विपिन पिता रामगोपाल ब्रा. 1/2
8	20/1/2/1	0.0180	विजय मिश्रा पिता रामजी मिश्रा
9	29/282	0.0200	चन्द्रवली सिंह पिता गुलाब सिंह
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.4920	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-552-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	गाडा बबन सिंह
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	गाडा बबन सिंह
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.0870 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे. में	विवरण
1	2	3	4
1	830	0.0350	राजमणि पिता नारायण भुजवा 1/8, बाबादीन पिता नारायण भुजवा 1/8, मु० विट्टी बेबा रामदास भुजवा 1/20, बहोरी पिता रामदास भुजवा 1/20, जानकी पिता रामदास भुजवा 1/20, विश्वनाथ पिता रामदास भुजवा 1/20, सहदेव पिता रामदास भुजवा 1/20, भगवानदास पिता धरमा भुजवा 1/4, छोटवा पिता नोहर भुजवा 1/4,
2	832	0.0320	नेपलुआ पिता नाथू भुजवा ग्राम गाडा बबन सिंह
3	897	0.0150	सूर्यनारायण सिंह पिता जमादार सिंह 1/72 श्यामा सिंह वेवा सुरेन्द्र प्रताप सिंह 1/54, कृष्ण कुमार सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह 1/54, अजय सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह 1/54, पुष्पेन्द्र सिंह पिता रूकुम सिंह 1/24, हिन्दुराज सिंह पिता रूकुम सिंह 1/24, अश्वनी कुमार सिंह पिता रूकुम सिंह 1/24, विजयबहादुर सिंह पिता रूकुम सिंह 1/24, महीपति पिता बबुआ सिंह 1/18, राजकिशोर सिंह पिता बबुआ सिंह 1/18, राजबली सिंह पिता बबुआ सिंह 1/18, पद्मनाथ सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18, प्रसन्न लाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18, तखतराज सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18, सुखलाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18, अरुण कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18, बृजेन्द्र सिंह पिता मोतीलाल सिंह 1/18, मु० विजयलक्ष्मी वेवा संतबहादुर सिंह 1/54, मु० गुलाब देवी वेवा जमादार सिंह 1/72, लल्लू सिंह पिता जमादार सिंह 1/72, रामनाथ सिंह पिता जमादार सिंह 1/72, मु० शान्ती सिंह वेवा तहसीलदार सिंह 1/60, अमित सिंह पिता तहसीलदार सिंह 1/60, लव सिंह पिता तहसीलदार सिंह 1/60, कुश सिंह पिता तहसीलदार सिंह 1/60, मु० सुनीता सिंह वेवा राजमणि सिंह 1/120, सुमित सिंह पिता राजमणि सिंह 1/120, मु० देवी सिंह वेवा बृजभान सिंह 1/60, रामजन्म सिंह पिता बृजभान सिंह 1/60, विनोद सिंह पिता बृजभान सिंह 1/60, बृद्धिमान सिंह पिता बृजभान सिंह 1/60, रविन्द्र सिंह पिता बृजभान सिंह 1/60, अर्जुन सिंह पिता संत बहादुर सिंह 1/54, भीम सिंह पिता संत बहादुर सिंह 1/54,
4	899/1/1	0.0010	रामबहोर पिता छोटका मुडहा
5	899/2/1	0.0010	बाल्मीक पिता छोटका मुडहा
6	899/3/1	0.0010	श्यामलाल वर्मा पिता छोटका वर्मा जाति मुडहा
7	899/4/1	0.0010	मणिराज पिता छोटका मुडहा
8	899/5/1	0.0010	शिवबहोर पिता छोटका मुडहा
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.0870	—

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-550-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	कोठार
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	कोठार
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.7900 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	650/2	0.0200	राजमणि पिता मंगल विश्वकर्मा सा. कोठार
2	649/2	0.0400	
3	510	0.0720	बृजेन्द्र पिता राजमणि तिवारी 1/3 हि०, सीता देवी बेबा गंगा प्रसाद तिवारी 1/9 हि०, प्रभात तिवारी पिता गंगा प्रसाद तिवारी 1/9 हि०, सतीश तिवारी पिता गंगा प्रसाद तिवारी 1/9 हि०, अनीता तिवारी बेबा बीरेन्द्र तिवारी 1/3 हि० जाति ब्राह्मण साकिन कोठार भूमिस्वामी
4	511	0.0860	
5	524	0.0100	पारसनाथ पिता रंगनाथ राम ब्रा०
6	527/1	0.0150	शकुंतला बेबा मनोज कुमार 1/5 हि०, अन्नपूर्णा पुत्री मनोज कुमार 1/5 हि०, सुफलता पुत्री मनोज कुमार 1/5 हि०, पद्माकर पुत्र मनोज कुमार 1/5 हि०, पुष्पांजली पुत्री मनोज कुमार 1/5 हि० ब्राह्मण साकिन कोठार भूमिस्वामी
7	528/1	0.0300	
8	527/2	0.0150	त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण तिवारी
9	528/2	0.0300	
10	528/3/1/1	0.0220	सुखेन्द्र प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी
11	528/3/1/2	0.0100	द्वारिका प्रसाद पिता जगदेव राम ब्रा०
12	597/1	0.0975	राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/3, मु० चितवनिया बेबा सत्यनारायण 1/12, रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण 1/12, चन्द्रिका पिता सत्यनारायण 1/12, रामकुमार पिता सत्यनारायण 1/12, सोनवती बेबा राजकरण 1/9, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण 1/9, शकुंतला बेबा मनोज कुमार 1/45, पद्माकर पुत्र मनोज कुमार 1/45, पुष्पांजलि पुत्री मनोज कुमार 1/45, अन्नपूर्णा पुत्री मनोज कुमार 1/45, सुफलता पुत्री मनोज कुमार 1/45, जाति ब्राह्मण साकिन कोठार भूमिस्वामी
13	538/1	0.0335	
14	597/2	0.0165	पुनीता पति प्रभात कुमार 1/2 रेनू पति संदीप कुमार 1/2
15	597/3	0.0160	रामबहोर पिता रामऔतार
16	538/2	0.0215	प्रेमा तिवारी पति द्वारिका प्रसाद तिवारी
17	539	0.1200	मु० कौशिल्या बेबा शिवानन्द 1/6, शशिभूषण पिता शिवानन्द राम 1/6, रामभूषण पिता शिवानन्द राम 1/6, रामायण प्रसाद पिता शंकर प्रसाद 1/4, मु० गुजरतुआ बेबा शंकर प्रसाद 1/4 भूमिस्वामी
18	541	0.0150	
19	540	0.1200	विष्णु प्रताप सिंह पिता ललन सिंह 1/3, कृष्ण प्रताप सिंह पिता ललन सिंह 1/3, अखण्ड प्रताप सिंह पिता ललन सिंह 1/3,
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.7900	—

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास, के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बागली जिला देवास, मध्यप्रदेश

बागली (देवास), दिनांक 21 मार्च 2025

प्रारूप-ख

उद्धघोषणा

[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक - 797 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम से किशनगढ़, तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर (म. प्र.), के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाना है

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर में)	पाईप का ढाया (एम.एम. में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चौड़ाई (मीटर में)	भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोग के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगन,मगन,गोकुल,सजन,श्रवण, फुन्दाबाई,गुन्दाबाई,सकुबाई, गोमतीबाई, पिता बाबू मडिबाई देवा बाबू जाति भीलाला पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	56	4.810	100.92	0.50	2.50	0.025	---
2	पोसला पिता सडिया जाति भीलाला पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	55/1	0.940	144.63	0.50	2.50	0.036	---
3	रतन पिता पोसलिया पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	55/4	1.390	40	0.50	2.50	0.001	---
4	धन्नालाल पिता कानाजी पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	49/4	1.390	125.85	0.50	2.50	0.031	---

5	बिना बाई बेवा नेमीचंद राजू राकेश, राहुल, सीमाबाई, जमनाबाई, लक्ष्मीबाई, ज्योति पिता नेमीचंद, जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	46	5.820	56.98	0.50	2.50	0.041	-----
				71.40	0.40	2.40	0.017	-----
6	तेरसिंह पिता बंशीलाल जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	43/1	1.050	28.29	0.40	2.40	0.010	-----
7	रेवाराम पिता बंशीलाल जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	43/2	1.050	28.00	0.40	2.40	0.010	-----
8	सुखराम पिता बंशीलाल जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	43/3	1.050	28.00	0.40	2.40	0.010	-----
9	मांगीलाल पिता बंशीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास	43/4	1.050	28.00	0.40	2.40	0.010	-----
10	हरिसिंह पिता बंशीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास	435/5	1.050	28.00	0.40	2.40	0.010	-----
11	गंगाराम पिता उंकार जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	40	5.560	120.36	0.40	2.40	0.030	-----
12	झुमाबाई पति गोपाल जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	39	1.010	61.76	0.40	2.40	0.015	-----
13	गलिया, भीमसिंह, नानूराम, भारीरथ, अर्जुन, संजू पिता मूलचंद राजलबाई, बेवा मूलचंद जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	37/1	2.250	45.14	0.40	2.40	0.011	-----
14	गुलाब पिता काल्या उर्फ कालू पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	100/3	1.060	50.00	0.40	2.40	0.012	-----
15	बादला उर्फ भावसिंह पिता काल्या उर्फ कालू पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	100/4	1.060	49.55	0.40	2.40	0.012	-----
16	काना पिता तातिया जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	88/1	1.000	21.00	0.40	2.40	0.010	-----
17	अमरसिंह पिता कानाजी जाति भीलाल पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	88/2	1.390	91.15	0.40	2.40	0.021	-----
18	भानुसिंह पिता मांग्या जाति सिर्वी पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	87/2	0.840	110.22	0.40	2.40	0.027	-----
19	लीलाबाई बेवा हरिसिंह, विजय, दीपक, प्रमिलाबाई, पिता हरीसिंह जाति सिर्वी पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	286	1.100	95.54	0.40	2.40	0.023	-----
20	मांगीलाल पिता बालाजी जाति सिर्वी पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	288	6.080	88.59	0.40	2.40	0.021	-----
21	संगीताबाई बेवा कैलाश, चेतना, विवान, नाबालिग, वर्षा नाबालिग पिता कैलाश संरक्षक संगीताबाई जाति सिर्वी पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	289/2	1.000	98.68	0.40	2.40	0.024	-----
22	विकास पिता कैलाशचंद जाति सेन्धव पता किशनगढ़ उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	290/1	0.750	21.50	0.40	2.40	0.005	-----
23	अमरसिंह पिता धन्ना जाति सिर्वी पता किशनगढ़ उदयनगर देवास	290/2/2	0.320	66.50	0.40	2.40	0.016	-----
24	सरलाबाई पति विलासराम जाति धनगर पता किशनगढ़ उदयनगर	282/1	1.880	156.59	0.40	2.40	0.038	-----

25	लीलाबाई बेवा नाना जाति सिर्दी पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	282/2	0.140	8.76	0.40	2.40	0.002	-----
26	शिव पिता बलराम जाति मराठा पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	279/1	1.490	174.85	0.40	2.40	0.042	-----
27	दरियाव पिता नाना जाति सिर्दी पता उदयनगर देवास भूमि स्वामी	278	6.510	262.98	0.40	2.40	0.063	-----
28	मुरलीधर पिता झापू पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	298	1.010	106.51	0.40	2.40	0.026	-----
29	किशोर पिता पदम, सुखलाल पिता भगवान, नानीबाई बेवा भगवान, सुरेश पिता भगवान महेश पिता भगवान, पैमाबाई पिता भगवान, मायाबाई पिता भगवान मंगीया पिता पदम उकार नाबालिग पिता बान्ना संरक्षक माता बान्ना, राधाबाई बेवा बान्ना जाति भिलाला भूमि स्वामी	308	0.240	22.18	0.40	2.40	0.005	-----
30	नोनसिंह पिता रामा जाति भीलाला पिता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी	307	0.200	29.57	0.40	2.40	0.007	-----
31	भारतसिंह पिता रामा जाति भिलाला पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी	306	0.480	35.86	0.40	2.40	0.009	-----
32	कनकसिंह पिता रामा जाति भिलाला जाति भिलाला पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी	305	0.480	38.22	0.40	2.40	0.009	-----
33	रुख्माबाई बेवा गज्जा, लालसिंह, गीता, सीता, आकाश, आरती माता सयतुलबाई जाति भिलाला पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी	304	0.900	85.34	0.40	2.40	0.021	-----
34	भावसिंह पिता बोंदरसिंह पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी	303/1	0.590	79.00	0.40	2.40	0.019	-----
35	मांगीलाल पिता बोंदरसिंह पता किशनगढ़ उदयनगर देवास	303/2	0.170	25.65	0.40	2.40	0.006	-----
36	सुभाष पिता भुराजी जाति भीलाला बोंदरसिंह पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी	302	0.260	26.20	0.40	2.40	0.006	-----
		36	57.370	0.654	-----	-----	0.654	

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- उदय नगर

3 ग्राम- किशनगढ़

4 खसरा क्रमांक- कुल 36

5 भूमि का रकबा (हे. में) 57.370 हे. में से (अर्जित रकबा) - 0.654 हे.

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर विछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,

प्रारूप-ख

उद्घोषणा

[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक - 803 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाइन / उप नहर पाईप नहर विछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम से पिपलपाटी, तहसील उदयनगर जिला देवाम मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर (म. प्र.), के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन, केबल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो डम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

क्रं.	भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर में)	पाईप का डायाम (एम. एम. में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चौड़ाई (मीटर में)	भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट विछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सायरीबाई पति कनसिंह भिलाला पता नि.किशनगढ भूमि स्वामी	245	1.490	132.39	0.40	2.40	0.031	-
2	रुगनाथ पि. पेमा भावनाबाई बेवा हरिसिंह, अरवीन पिता हरिसिंह करीना पिता हरिसिंह शिवानी पिता हरिसिंह जाति सिर्वी पता नि.ग्राम किशनगढ भूमि स्वामी	244	4.610	254.12	0.40	2.40	0.061	-

3	हजारी पिता झापू जाति सिर्वी पता पिपलपाटी उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	247/2	3.000	91.02	0.40	2.40	0.021	-
4	देवीसिंह पिता नरसिंह जाति भिलाला पता नि.किशनगढ भूमि स्वामी	248	1.000	110.1	0.40	2.40	0.026	-
5	मुन्ना पिता सीताराम जाति भारुड पता उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	242/2/ 1/1	4.080	231.72	0.40	2.40	0.055	-
6	बहादुर पिता गोटिया जाति भारुड पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	261	1.340	158.7	0.40	2.40	0.038	-
7	संदीप पिता श्रवण जाति दांगी पता नि. तिल्लोरबुजुर्ग तह व जि इंदौर भूमि स्वामी	267/2	2.500	7.40	0.40	2.40	0.018	-
8	रामप्रसाद पिता बाबू जाति भारुड पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	267/1	5.060	158.83	0.35	2.35	0.037	-
9	कडवा जी पिता गोकुल जाति भारुड पता उदयनगर पिपलपाटी देवास	269	1.460	58.00	0.35	2.35	0.013	-
10	कालू पिता मोहन जाति भारुड पता पिपलपाटी उदयनगर देवास	270	1.450	1.92	0.35	2.35	0.005	-
	योग—	10	25.990	-	-	-	0.305	-

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- उदय नगर

3 ग्राम- पिपलपाटी

4 खसरा क्रमांक- कुल 10

5 भूमि का रकबा (हे. में) 25.990 हे. में से (अर्जित रकबा) - 0.305 हे.

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन

प्रारूप-ख
उद्घोषणा

[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक - 799-800 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम से आगराखुर्द, तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर (म. प्र.), के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाना है

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

क्र.	भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर में)	पाईप का डाय (एम. में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चौड़ाई (मीटर में)	भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	रिमा र्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फाटलिया पिता पुन्या जाति मिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	93/394	1.380	54.42	0.60	2.60	0.014	-
2	कैलाश पिता गुलाब जाति मिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	95/1	0.270	16.43	0.60	2.60	0.004	-
3	नन्दू पिता गुलाब जाति मिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	95/2	0.270	14.18	0.60	2.60	0.004	--
4	दिनेश पिता गुलाब जाति मिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	95/3	0.280	19.10	0.60	2.60	0.005	--
5	भारत पिता गुलाब जाति मिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	95/4	0.280	10.87	0.60	2.60	0.030	--

6	जामसिंह पिता मडिया जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	94	2.110	16.71	0.60	2.60	0.030	--
7	गोराबाई पति सरवन जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	159/2	1.000	31.56	0.60	2.60	0.008	--
8	छीताबाई पति बुधिया जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	157/2	0.370	25.02	0.60	2.60	0.007	--
9	बुधिया पिता गोपाल जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	157/3	0.710	30.47	0.60	2.60	0.008	--
10	मांगूबाई देवा किशोर जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	157/4	0.700	41.63	0.60	2.60	0.011	--
11	चैनसिंह पिता मल्या जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	158/2	0.500	34.02	0.60	2.60	0.009	--
12	छोटू पिता मल्या जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	158/3	0.500	34.31	0.60	2.60	0.009	--
13	प्रेमसिंह पिता मल्या जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	158/4	0.500	41.66	0.60	2.60	0.011	--
14	जगन पिता बाबूसिंह जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	153/1/ 1	0.900	16.69	0.60	2.60	0.004	--
15	कैलाश पिता बापूसिंह जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	153/1/ 2	0.870	34.29	0.60	2.60	0.009	--
16	बालू पिता फूलसिंह जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	153/2	1.780	28.70	0.60	2.60	0.007	--
17	मनोहर पिता फूलसिंह भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	153/3	1.780	27.52	0.60	2.60	0.0143	--
18	सुरपाल पिता कालू जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	152/1	1.250	40.45	0.60	2.60	0.011	--
19	नारायण पिता गोपाल जाति भिलाला पता उदयनगर देवास म.प्र.	152/2/ 7	0.031	40.13	0.60	2.60	0.011	--
20	सरदार पिता कालू जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	152/3	1.250	41.41	0.60	2.60	0.011	--
21	जामसिंह पिता कालू जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	152/4	1.250	42.87	0.60	2.60	0.011	--

22	नरसिंह पिता कालू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	152/5	1 250	36.04	0.60	2.60	0.009	--
23	राजू पिता केशरसिंह जाति भीलाला पता पोटला उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	162/1/ 1' 162/1/ 2 162/1/ 3' 162/1/ 4'	1.230	162.9 3	0.60	2.60	0.042	--
24	मालसिंह पिता मडिया जाति भीलाला पता उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	230/1	1.010	95.21	0.60	2.60	0.025	--
25	कालू पिता बुधिया जाति भीलाला पता उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	230/2	1.010	16.16	0.60	2.60	0.004	--
26	बल्लू पिता सदरू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	225	0.110	9.12	0.60	2.60	0.002	--
27	घनसिंह पिता सदरू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	306	0.540	20.43	0.60	2.60	0.005	--
28	रायसिंह पिता सदरू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	307	0.560	61.46	0.60	2.60	0.016	--
29	भेरूसिंह पिता बडिया जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	348	0.540	72.62	0.60	2.60	0.019	--
30	धिरिया पिता बडिया जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	347	0.540	22.77	0.60	2.60	0.006	--
31	कुँवर पिता नरसिंह जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	346	0.720	85.49	0.60	2.60	0.022	--
32	देवीसिंह पिता गुलाब जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	352	0.360	35.60	0.60	2.60	0.009	--
33	रेवसिंह पिता गुलाब जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	353	0.360	30.83	0.60	2.60	0.008	--
34	लालसिंह पिता गुलाब जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	345	0.360	3.83	0.60	2.60	0.002	--

35	उमराव पिता जोतसिंह जाति मीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	354	0.310	33.83	0.60	2.60	0.009	--
36	बारकिया पिता जोतसिंह जाति मीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	340	0.310	43.73	0.60	2.60	0.011	--
37	अभयसिंह पिता अमरसिंह जाति मीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	359/1/1	0.600	7.0	0.60	2.60	0.002	--
38	दौलत पिता लक्ष्मण जाति मीलाला पता नीमखेडा उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	339	1.270	104.94	0.60	2.60	0.032	--
39	मंशाराम पिता हिरालाल जाति मीलाला पता पीपरी उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	360/39 1/2/1	1.000	78.00	0.60	2.60	0.002	--
40	नटदूसिंह पि. डॉंगरसिंह व कुमारीबाई बेवा डॉंगरसिंह जाति मील पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	360/39 1/1	1.570	101.10	0.60	2.60	0.026	--
41	झापडीबाई बेवा बंडिया जाति मीलाला पता पानकुंआ उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी	362	2.100	86.41	0.60	2.60	0.022	--
42	विजयसिंह पिता अमरसिंह जाति मीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास	359/1/2	0.610	105.85	0.60	2.60	0.028	--
43	तेरसिंह पिता रामचंद जाति मीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास भूमि स्वामी	359/2	1.500	14.00	0.60	2.60	0.004	--
44	मनोज पिता रमेश, लक्ष्मी पिता रमेश, श्यामा पिता रमेश जाति मीलाला जाति मीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास भूमि स्वामी	360/39 1/2/2	0.500	34.00	0.60	2.60	0.009	--
योग--		44	36.341	--	--	--	0.542	--

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- उदय नगर

3 ग्राम- आगराखुर्द

4 खसरा क्रमांक- कुल 44

5 भूमि का रकबा (हे. में) 36.341 हे. में से (अर्जित रकबा) - 0.542 हे.

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर विछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन।

प्रारूप-ख
उद्घोषणा
[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक - 807 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम से सिवनपानी, तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर (म. प्र.), के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

क्र.	भूमिस्वामी/अधिगोपी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर में)	पाईप का ढाया (मीटर में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चौड़ाई (मीटर में)	भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रेवसिंग, देविसिंग, कसरसिंग, विजेशिंग पिता जामसिंह भुमाबाई, बेवा जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27	2.020	110.54	0.40	2.40	0.027	-
2	आपसिंह पिता पहाड़सिंह जाति भिलाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	29	2.270	167.98	0.40	2.40	0.004	-
3	छगन पिता गुलाब जाति भिलाला पता-निवासी रातातलाई भूमि स्वामी	54/3	1.050	74.03	0.40	2.40	0.018	-
4	चैनसिंह पिता हरिसिंह जाति भिलाला पिता निवासी-ग्राम भूमि स्वामी	54/4	0.250	17.26	0.40	2.40	0.004	-
5	मुकेश राकेश पिता रेमसिंग जाति भिलाला निवासी-ग्राम भूमि स्वामी	54/2/1	0.250	100.24	0.40	2.40	0.001	-

6	तेरसिंह पिता पहाडसिंह जाति मिलाला निवासी-ग्राम भूमि स्वामी	58	1.100	97.32	0.40	2.40	0.023	-
7	छगन पिता गुलाब पता-निवासी रातातलाई भूमि स्वामी	59/1	0.620	53.88	0.40	2.40	0.013	-
8	मुकेश राकेश पिता रेमसिंग जाति मिलाला निवासी-ग्राम भूमि स्वामी	59/2	0.250	47.27	0.40	2.40	0.011	-
9	मूलचंद.धुमसिंह पिता धुधरिया जाति मिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	51/1	0.450	37.37	0.40	2.40	0.009	-
10	पातलसिंह पिता धुधरिया जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	66	1.260	77.21	0.40	2.40	0.019	-
11	धुधरिया पिता सेकडिया जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	68	0.650	109.3	0.40	2.40	0.026	-
12	कमल रमेश मोहन शेरसिंह बालू मैयालाल बलाय केशरबाई पिता इसत्रीया चिनदलाबाई बेवा इसत्रीया जाति बारैला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	69	0.250	18.69	0.40	2.40	0.004	-
13	रणजीसिंह पिता माईला जाति बारैला पता सिवनापानी उदयनगर देवास म.प्र.	71/1	0.100	21.94	0.40	2.40	0.005	-
14	छीनका पि. धनसिंह जाति बारैला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	72	0.090	25.92	0.40	2.40	0.006	-
15	नटवरसिंह पिता मालसिंह जाति बारैला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	73	0.260	14.38	0.40	2.40	0.003	-
16	किरंगया पिता धनसिंह जाति बारैला पता सिवनापानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश	74	0.300	22.4	0.40	2.40	0.005	-
17	फूलसिंह पिता धनसिंह गणपत पि.फुलसिं जाति बारैला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/3	0.230	6.28	0.40	2.40	0.002	-
18	छगनलाल पिता छिनका जाति बारैला पता सिवनापानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	188/3	0.880	78.86	0.40	2.40	0.019	-
19	भीमसिंह पिता सरवन जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	168	0.250	36.67	0.40	2.40	0.009	-
20	रामसिंह पिता सरवन जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	169	0.300	40.52	0.40	2.40	0.001	-
21	पदम पिता गणपत जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	170	0.510	59.17	0.40	2.40	0.014	-
22	जैराम पिता सरवन जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	171	0.970	35.44	0.35	2.35	0.009	-
23	जानिया पिता बेलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	152	0.800	135.31	0.35	2.35	0.032	-

24	गंगाराम पिता रायसिंह गजरीबाई बेवा रायसिंह जाति भिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	156	1.380	135.31	0.35	2.35	0.032	-
25	जगदीश पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	155/1	0.710	135.31	0.35	2.35	0.012	-
26	नन्दु पिता मांगीलाल जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	155/2	0.750	63.22	0.35	2.35	0.015	-
27	छगन पिता जानिया जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	154/2	0.630	41.49	0.35	2.35	0.010	-
28	मगन पिता जानिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	154/1	0.640	49.55	0.35	2.35	0.001	-
29	पवन लिलाबाई चम्पाबाई पिता हिरालाल जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	105/1	1.000	28.52	0.35	2.35	0.006	-
30	रेमसिंह पिता मालसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/2	1.000	57.61	0.35	2.35	0.010	-
31	गीताबाई पति रेमसिंह जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/3	0.590	46.38	0.35	2.35	0.018	-
32	कमल पिता इस्तरिया जाति बारेलाला ग्राम निवासी भूमि स्वामी	50	0.640	30	0.40	2.40	0.007	-
33	देवीसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60/1	0.250	41.88	0.40	2.40	0.010	-
34	द्वारकीबाई वि रामसिंह भूरा नूरा गजराज दिलीप बिन्दाबाई गेन्दाबाई लिलाबाई कलाबाई सुन्दरबाई पिता रामसिंह प्रेमसिंह भीमसिंह पिता अमरसिंह जाति भिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60/2	0.740	5	0.40	2.40	0.012	-
35	पप्पू पिता अंगूर जाति बारेलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/2	0.250	27.81	0.40	2.40	0.007	-
36	दिनेश पिता अंगूर जाति बारेलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/3	0.250	27.85	0.40	2.40	0.007	-
37	मदन पिता सुन्दरिया जाति भिलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	61	0.430	52.08	0.40	2.40	0.013	-
38	मदन पिता सुन्दरिया जाति भिलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	67/2	0.090	7.21	0.40	2.40	0.002	-
39	तेरसिंह पिता पहाडसिंह जाति भिलाला निवासी-ग्राम भूमि स्वामी	56	1.000	96	0.40	2.40	0.023	-

40	निर्मय पिता भाईला जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	71/2	1.000	5.485	0.40	2.40	0.013	-
41	गुलाबसिंह पिता भाईला जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	71/3	0.090	5.485	0.40	2.40	0.013	-
42	नेमीचंद पिता भाईला जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	71/4	0.090	5.485	0.40	2.40	0.013	-
43	किशनलाल पिता छिनका जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	188/2	0.880	18.12	0.40	2.40	0.005	-
44	रमेश पिता चुनिया जाति मिलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	167/1	0.230	35	0.40	2.40	0.008	-
45	महेश पिता चुनिया जाति मिलाला शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	167/2	0.230	35	0.40	2.40	0.008	-
46	दीपक पिता रामसिंह जाति मिलाला पता- शिवनपानी उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	103/3	0.450	40	0.35	2.35	0.009	
47	सरदार पिता रामसिंह जाति मिलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी	103/4	0.450	40	0.35	2.35	0.009	
48	बाकलीबाई बेवारामसिंह जाति मिलाला पता शिवनपानी देवास म.प्र. भूमि स्वामी	103/5	0.450	22.31	0.35	2.35	0.005	
योग-		48	29.330				0.532	

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- उदय नगर

3 ग्राम- शिवनपानी

4 खसरा क्रमांक- कुल 48

5 भूमि का रकबा (हे. में) 29.330 हे. में से (अर्जित रकबा) - 0.532 हे.

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाइन / उप नहर पाईप नहर विद्यमान के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन।

प्रारूप-ख
उद्धघोषणा
[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक - 801-802 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम से आगरा बुजुर्ग, तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर (म. प्र.), के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

क्र.	भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर में)	पाईप का डायामिटर (मीटर में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चौड़ाई (मीटर में)	भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धुमसिंह पिता विसन झेताबाई वि.विसन जाति भिलाला पता नि.पानकुवा भूमि स्वामी	33	2.360	34.54	0.60	2.60	0.009	-
2	फुंदाबाई बेवा मडिया जाति भिलाला पता आगराबुजुर्ग उदयनगर भूमि स्वामी	34/6	0.350	66.50	0.50	2.50	0.017	-

3	चम्पाबाई पिता केरिया, हिराबाई पति रतनसिंह, भारसिंह पिता रतनसिंह, तेरसिंह, धनसिंह, जामसिंह, लीला, धावली, मोहनसिंह, फूलीबाई, धनीबाई, राधाबाई, सुमनबाई पिता पातालसिंह, नहालीबाई बेवा अमरसिंह, कैलाश, पप्पू, मोहनलाल रुखमाबाई पिता अमरसिंह, अजय, सुरेश, पुजा पिता चैनसिंह, बल्लू, नारायण, रामसिंह, दिपक, अनुबाई, ममताबाई पिता गमरसिंह, नहार सिंह पिता केरिया, रुकमाबाई बेवा मांगीलाल, हरिसिंह, धनसिंह रामसिंह, कनसिंह, इंदरसिंह गजरी पिता मांगीलाल, बुदीबाई बेवा चैनसिंह जाति भिलाला भूमि स्वामी	30	2.470	48.6	0.50	2.50	0.012	-
4	भंवरबाई वि. बलराम शोभाराम, दत्ताक पुत्र बलराम जाति भिलाला नि. ग्राम किशनगढ़ भूमि स्वामी	38	3.810	199.54	0.50	2.50	0.050	-
5	नंदकिशोर पिता धन्नालाल जाति सिर्वी निवासी किशनगढ़ भूमि स्वामी	40/1/1	3.010	101.77	0.50	2.50	0.025	-
6	केशरबाई बेवा धन्नालाल, क्षमाबाई, एनूबाई, हिरामणीबाई, मंजूबाई, दुर्गाबाई पिता धन्नालाल जाति सिर्वी निवासी किशनगढ़ भूमि स्वामी	40/3	1.750	52.48	0.50	2.50	0.013	-
7	शिवशंकर पिता धन्नालाल जाति सिर्वी पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी	41/1	4.560	88.18	0.50	2.50	0.022	-
8	कैलाश पिता धन्नालाल जाति सिर्वी पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी	41/2	5.020	100.76	0.50	2.50	0.025	-
9	रुकडिया पिता शंकर जाति भिलाला निवासी आगराखुर्द भूमि स्वामी	48	0.830	119.79	0.50	2.50	0.030	-
10	नाहरसिंह पिता गणेश जाति मानकर पता आगराखुर्द उदयनगर भूमि स्वामी	47	0.550	44.00	0.50	2.50	0.011	-
11	मुन्नासिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला, निवासी आगरा बुजुर्ग	51/1,	0.500	51.77	0.50	2.50	0.013	-
12	भूरा पिता भिमडिया जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर भूमि स्वामी	53/1	0.070	21.27	0.50	2.50	0.005	-
13	दशरथ पिता भिमडिया जाति भिलाला पता किशनगढ़ देवास भूमि स्वामी	53/4	1.300	51.78	0.50	2.50	0.013	-
14	मंशाराम पिता गोपाल जाति भिलाला, निवासी आगरा बुजुर्ग भूमि स्वामी	53/2	0.450	59.16	0.50	2.50	0.015	-
15	बेंदरसिंह पिता पिडीया जाति भिलाला निवासी पानकुआ भूमि स्वामी	59/1	1.320	40.74	0.50	2.50	0.010	-
16	गब्बूलाल पिता पिडीया जाति भिलाला निवासी आगरा बुजुर्ग भूमि स्वामी	59/2	1.320	35.85	0.50	2.50	0.009	-
17	नरसिंह पिता पिडीया जाति भिलाल निवासी पानकुआ भूमि स्वामी	59/3	0.340	10.31	0.50	2.50	0.003	-
18	उमेश पिता मालसिंह, सज्जन, मालसिंह बुदीबाई बेवा, मालसिंह पता आगराबुजुर्ग उदयनगर देवास भूमि स्वामी	58/2	1.000	69.85	0.50	2.50	0.017	-

19	गोविंद पिता पिडिया जाति भिलाला पता पानकुआ उदयनगर देवास भूमि स्वामी	60	1.340	74.53	0.50	2.50	0.019	
20	जितेंद्र पिता मदन जाति भिलाला पता आगराबुजुर्ग उदयनगर देवास भूमि स्वामी	66/1	0.800	53.35	0.50	2.50	0.013	-
21	जामसिंह पिता हरिसिंह जाति भिलाला पता आगराबुजुर्ग उदयनगर देवास भूमि स्वामी	58/3	1.00	74.23	0.50	2.50	0.019	
22	जलाल पिता देवीसिंह, जाति भिलाला, निवासी आगरा खुर्द भूमि स्वामी	67,	1.170	88.71	0.50	2.50	0.022	-
23	अमरसिंह पिता रडतिया जाति भिलाला पात आगराबुजुर्ग उदयनगर देवास भूमि स्वामी	76/3	1.000	18.00	0.50	2.50	0.005	
24	राकेश पिता नाथू उर्फ नटराज व नाथू पिता रडतिया, जाति भिलाला भूमि स्वामी	76/2/1	0.460	33.00	0.50	2.50	0.008	-
25	सुरेश पिता नाथू उर्फ नटराज जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	76/2/2	0.470	33.00	0.50	2.50	0.008	
26	मुकेश पिता नाथू उर्फ नटराज जाति भिलाला भूमि स्वामी	76/2/3	0.470	33.00	0.50	2.50	0.008	-
27	अमरसिंह पिता रडतिया, कान्हाबाई बेवा रडतिया जाति भिलाला , निवासी आगराबुजुर्ग भूमि स्वामी	76/1	0.200	12.92	0.50	2.50	0.003	-
28	अमरसिंह पिता रडतिया, कान्हाबाई बेवा रडतिया जाति भिलाला , निवासी आगराबुजुर्ग भूमि स्वामी	75	1.320	62.33	0.50	2.50	0.016	-
29	सुरेश पिता नाथू उर्फ नटराज जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	73/2/2	0.390	80.00	0.50	2.50	0.020	-
30	मुकेश पिता नाथू उर्फ नटराज जाति भिलाला भूमि स्वामी	73/2/3	0.400	80.00	0.50	2.50	0.020	-
	कुल योग -	30	40.03	-	-	-	0.460	-

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- उदय नगर

3 ग्राम- आगरा बुजुर्ग

4 खसरा क्रमांक- कुल 30

5 भूमि का रकबा (हे. में) 40.03 हे. में से (अर्जित रकबा) - 0.460 हे.

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाइन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन।

प्रारूप-ख

उद्घोषणा

[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक - 805 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाइन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम से पटपडी, तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर (म. प्र.), के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाना है

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर में)	पाईप का डाय (मीटर में)	उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चौड़ाई (मीटर में)	भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगिता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फूलसिंह पिता रडतिया पिता जाति मिलाला,रामसिंह पिता रडतिया रूपसिंह,शोभाराम, बलराम,दुर्गाबाई, कमला, सिवली पिता रडतिया जाति मिलाला पता देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	157/1	5.730	35.85	0.80	2.80	0.085	
2	भूरीबाई जंगलीबाई पिता रूपसिंह जाति मिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	158/1	0.680	27.54	0.80	2.80	0.010	

3	सकलीबाई बेवा चंदर, बुधिया, नहारसिंग, दयेली, सोनाबाई पिता चंदर जाति मिलाला भूमि स्वामी	134	2.580	152.17 0	0.80	2.80	0.043
4	गमरीया पिता साहिबा जाति मिलाला निवासी ग्राम भूमि	133	2.290	147.07	0.80	2.80	0.041
5	रामसिंग पिता अमरसिंग जाति मिलाला भूमि स्वामी	115/3/1	3.280	165.63	0.80	2.80	0.046
6	सिताराम पिता नाथू जाति मिलाला भूमि स्वामी	117	0.300	34.07	0.80	2.80	0.010
7	लक्ष्मन पिता नाथू जाति मिलाला भूमि स्वामी	118	0.300	21.96	0.80	2.80	0.010
8	खुमान पिता अमरसिंह	115/3/2	1.090	150.37	0.80	2.80	0.042
9	खुमान पिता अमरसिंह	113/2	1.410	63.88	0.80	2.80	0.018
10	रामसिंग पिता अमरसिंग जाति मिलाला भूमि स्वामी	113/1	1.410	103.21	0.80	2.80	0.029
	योग	10	19.070	-	-	-	0.334

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- उदय नगर

3 ग्राम- पटपडी

4 खसरा क्रमांक- कुल 10

5 भूमि का रकबा (हे. में) 19.070 हे. में से (अर्जित रकबा) - 0.334 हे.

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन

आनंद मालवीया, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2025

प्रकरण क्रमांक २९/अ-82 वर्ष 2024-2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अमानगंज	महेबा	निजी भूमि रकवा 87.47 है० एवं शासकीय भूमि रकवा 1.21 है० कुल रकवा 88.69 है०	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना	सेमरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम महेबा तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा-11 का प्रकाशन हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 25 मार्च 2025

प्रकरण क्रमांक 32/अ-82 वर्ष 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की संभावना है। भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 वर्ष 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के अर्जन हेतु उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

क्र.	भूमि का वर्णन			धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
1	देवेन्द्रनगर	भगेपुर	निजी भूमि रकवा 0.838 हे० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.00 हे० कुल रकवा 0.838 हे०	कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन संभाग पन्ना(म०प्र०)	देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-11 का प्रकाशन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-537-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 10 मार्च 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - बैरागल

(घ) क्षेत्रफल- 0.3910 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा क०	प्रभावित रकबा (हे.मै.)
1	कमला पिता सोनेलाल गडारी पता सा० पथरौधा भूमि स्वामी	101/2/5	0.1050
2	रामजियावन पिता सोनेलाल गडारी पता सा० पथरौधा भूमि स्वामी	101/2/6	0.0060
3	गया प्रसाद पिता रामभजन कुशवाहा पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	119/1/1/1	0.0200
4	श्यामसुन्दर पिता रामभजन कुशवाहा पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	119/1/2	0.0220
5	जयराम बाई बेवा दयाराम कुशवाहा जाति काछी 1/4, धीरज पिता दयाराम कुशवाहा जाति काछी 1/4, राजन पिता दयाराम कुशवाहा जाति काछी 1/4, रामजी पिता दयाराम कुशवाहा जाति काछी 1/4 पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	119/1/3	0.0080
6	कल्लू पिता सोनेलाल गडारी पता सा० देह भूमि स्वामी	119/2/1	0.1500
7	श्यामलाल पिता काशीदीन काछी पता श्यामनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	123/1	0.0800
	कुल योग-		0.3910

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कचनपुर सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-550-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 12 मार्च 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम -- मौहरी

(घ) क्षेत्रफल- 1.3590 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा क०	प्रभावित रकबा (हे. में.)
1	तेजप्रताप पिता रामप्रताप ब्रा पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1653	0.0300
2	शंकरदीन पिता बाबूलाल बागरी पता सा.खम्हरिया खुर्द भूमि स्वामी	1654/1	0.0200
3	छोटेलाल पुत्र बाबूलाल बागरी पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश	1654/2	0.0190
4	शंकरदीन पिता बाबूलाल बागरी पता सा.खम्हरिया खुर्द भूमि स्वामी	1655/1	0.6190
5	दीपककेशरी पिता बांकेबिहारी गुप्ता पता सतना मैथली शरण चौक रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1666/1	0.1510
6	सुमित्रा बेवा छोटेलाल बागरी पता लालपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश	1666/2	
7	अर्चना पुत्री छोटेलाल बागरी पता लालपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश	1666/3	
8	लालमन पिता रामप्रताप ब्रा पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1667/1	0.0080
9	बांकेबिहारी सिंह पुत्र औसेर सिंह सेंगर पता उररहट हुजूर रीवा मध्य प्रदेश	1674/1/2	0.0110
10	प्रिया पति विनोद कुमार चंदानी पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश	1674/2/1	0.0320
11	छेलबिहारी सिंह पिता औसेरा सिंह सेंगर पता रीवा हुजूर रीवा मध्य प्रदेश	1675/1/1	0.1050
12	बांकेबिहारी सिंह पुत्र औसेर सिंह सेंगर पता उररहट हुजूर रीवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1675/1/2	0.1000
13	प्रिया पति विनोद कुमार चंदानी पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश	1675/2/1/1	0.0240
14	भूपेन्द्र कुमार पिता रघुवंश प्रसाद ब्रा पता सितपुरा सतना मध्य प्रदेश	1673/2	0.2240
15	कृपाशंकर पिता रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा पता सितपुरा नागौद सतना	1672/1	0.0080
16	प्रदीप कुमार पिता रघुवंश प्रसाद ब्रा पता सितपुरा सतना मध्य प्रदेश	1672/2	0.0080
	योग-	--	1.3590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बमुरहिया माइनर व बमुरहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-612-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 24 मार्च 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - उमरी

(घ) क्षेत्रफल- 3.1770 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं०	अर्जित रकवा (है०में०)
1	बिसरन पत्नी नन्दूलाल प्रजापति जाति कुम्हार पता वार्ड दव.34 पी.टी.एस. कालोनी हुजूर रीवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	227	0.1640
2	सुनीता सिंह पति पुष्पेंद्र सिंह परिहार पता उमरी (भरतपुर) नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	226	0.0020
3	जयलाल पिता टिडैया काछी पता सा० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	229/1	0.0260
4	जयलाल पिता टिडैया काछी पता सा० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	228/1	0.0050
5	सुनीता सिंह पति पुष्पेंद्र सिंह परिहार पता उमरी (भरतपुर) नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	262	0.0040
6	शोभा पिता छोटा कुशवाहा पता सा० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	230/364	0.0090
7	चौवन पिता भगवानदास जाति नाई पता सा० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	261	0.0920
8	चौवन पिता भगवानदास जाति नाई पता सा० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	260	0.0310
9	चौवन पिता भगवानदास जाति नाई पता सा० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	259	0.1050
10	चौवन पिता भगवानदास जाति नाई पता सा० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	258	0.0100
11	श्रीमती विष्णु सिंह पत्नी प्रताप सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	264	0.1680
12	श्रीमती भगवनिया पुत्री सुखन्दी लोहार मोहन पिता सुखन्दी लोहार पता भुरिया पिता सुखन्दी लोहार रामखेलावन पिता सुखन्दी लोहार बालगोविन्द पिता सुखन्दी लोहार प्यारीबाई पत्नी सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार फूलन पुत्री सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजाभइया पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजन पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पता रामपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	154	0.0210
13	प्रेमलाल पिता कन्धी कुम्हार पता सा० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	153	0.0530
14	श्रीमती भगवनिया पुत्री सुखन्दी लोहार मोहन पिता सुखन्दी लोहार पता भुरिया पिता सुखन्दी लोहार रामखेलावन पिता सुखन्दी लोहार बालगोविन्द पिता सुखन्दी लोहार प्यारीबाई पत्नी सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार फूलन पुत्री सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजाभइया पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजन पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पता रामपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	155/1	0.0470

15	प्रेमलाल पिता कन्धी कुम्हार पता सा० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	155/2	0.0030
16	बाबूलाल पिता ईश्वरदीन नामदेव पता नागौद नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	150	0.0420
17	श्रीमती भगवनिया पुत्री सुखन्दी लोहार मोहन पिता सुखन्दी लोहार पता भुरिया पिता सुखन्दी लोहार रामखेलावन पिता सुखन्दी लोहार बालगोविन्द पिता सुखन्दी लोहार प्यारीबाई पत्नी सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार फूलन पुत्री सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजाभइया पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजन पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पता रामपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	152	0.0460
18	श्रीमती भगवनिया पुत्री सुखन्दी लोहार मोहन पिता सुखन्दी लोहार पता भुरिया पिता सुखन्दी लोहार रामखेलावन पिता सुखन्दी लोहार बालगोविन्द पिता सुखन्दी लोहार प्यारीबाई पत्नी सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार फूलन पुत्री सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजाभइया पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजन पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पता रामपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	149	0.0380
19	योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	147	0.0380
20	योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	146	0.0430
21	योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	142	0.0320
22	योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	143	0.0640
23	प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	134	0.0050
24	शम्भू प्रसाद पिता परमलाल पाठक पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	132	0.0380
25	प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	133	0.0480
26	शम्भू प्रसाद पिता परमलाल पाठक पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	131	0.0320
27	मु० गिरजा देवी बेवा रामधनी ब्रा० पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	109/2/1	0.0230
28	सुशील कुमार पिता रामसखा ब्रा० पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी सुनील कुमार पिता रामसखा ब्रा० पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	109/2/2	0.0070
29	प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	100	0.1210
30	प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	101	0.0220
31	प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	47	0.1200

32	मनधारी पिता कालू जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	49/2	0.0650
33	राम प्रसाद पिता कालू बारी जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/3	0.0560
34	ओमैन्द्र पिता धीरेन्द्र सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	48	0.0060
35	सुफल कुमार पिता जुगला बारी, संजय पुत्र जुगुला बारी, ममता पुत्री जुगुला बारी माया पुत्री जुगुला बारी माधुरी पुत्री जुगुला बारी गुड़िया पुत्री जुगुला बारी शोभा पुत्री जुगुला बारी सविता पुत्री जुगुला बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	50/1	0.0210
36	जगदीश पिता साधू बारी जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	50/2	0.0050
37	जगदीश पिता साधू बारी जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	51	0.0150
38	सुफल कुमार पिता जुगला बारी, संजय पुत्र जुगुला बारी, ममता पुत्री जुगुला बारी माया पुत्री जुगुला बारी माधुरी पुत्री जुगुला बारी गुड़िया पुत्री जुगुला बारी शोभा पुत्री जुगुला बारी सविता पुत्री जुगुला बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	53/1	0.0120
39	मनधारी पिता कालू जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	53/2	0.0220
40	सुफल कुमार पिता जुगला बारी, संजय पुत्र जुगुला बारी, ममता पुत्री जुगुला बारी माया पुत्री जुगुला बारी माधुरी पुत्री जुगुला बारी गुड़िया पुत्री जुगुला बारी शोभा पुत्री जुगुला बारी सविता पुत्री जुगुला बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	52	0.0400
41	नारेन्द्र सिंह पिता बृजमोहन सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	54/1	0.0350
42	श्रीमती सुधा सिंह पत्नी नारेन्द्र सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	54/2	0.0360
43	नारेन्द्र सिंह पिता बृजमोहन सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	55/1	0.2780
44	नारेन्द्र सिंह पिता बृजमोहन सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/1	0.0100
45	मीरा पत्नी प्यारेलाल चमार पता सा० देह बंटन से प्राप्त सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	57/1/4	0.1000
46	सुफल कुमार पिता जुगला बारी, संजय पुत्र जुगुला बारी, ममता पुत्री जुगुला बारी माया पुत्री जुगुला बारी माधुरी पुत्री जुगुला बारी गुड़िया पुत्री जुगुला बारी शोभा पुत्री जुगुला बारी सविता पुत्री जुगुला बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	52/369	0.0100
47	जगदीश पिता साधू बारी जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	50/371/1	0.0100
48	भइयालाल पिता हीरालाल कुशवाहा पता रमपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	349/2	0.0650
49	भइयालाल पिता हीरालाल कुशवाहा पता रमपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	350/2	0.0140
50	मु० सुन्दी कुशवाहा बेवा बिहारीलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा.रमपुरा तहसील नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लल्लूलाल कुशवाहा पिता बिहारीलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा० रमपुरा तहसील नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	347	0.0830

नागौर जिला सतना नागौर			
51	मु०सुन्दी कुशवाहा बेवा बिहारीलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा०रमपुरा तहसील नागौर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लल्लूलाल कुशवाहा पिता बिहारीलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा० रमपुरा तहसील नागौर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	348	0.0750
52	सन्तोष कुमार पिता भल्लू काछी पता सा. रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	332/1	0.0020
53	मंगल प्रसाद पिता छोटा लोहार पता सा० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	346	0.0150
54	ओमेन्द्र सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह पता उमरी नागौर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	333/1	0.1680
55	योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	333/2	0.1670
56	श्रीमती विष्णु सिंह पत्नी प्रताप सिंह परिहार पता उमरी नागौर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	329	0.1750
57	भरतलाल पिता राघव भान सिंह परिहार पता उमरी नागौर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	323	0.0800
58	मंगल प्रसाद पिता छोटा लोहार पता सा० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	345	0.0250
59	भरतलाल पिता राघव भान सिंह परिहार पता उमरी नागौर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	321	0.1080
60	भरतलाल पिता राघव भान सिंह परिहार पता उमरी नागौर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	325	0.0200
योग—			3.1770

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौर-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरी माइनर एवं उमरीबृज सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-613-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - महेन्द्रपुर

(घ) क्षेत्रफल- 0.9740 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं०	अर्जित रकवा (हैं में)
1	श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	342/1/1	0.0260
2	श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	342/1/2	
3	चांद मो पिता दोस्त मो मुसलमान पता नागौद नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	342/1/3	
4	श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	342/1/4	
5	सरीफुनिशा बेवा बली मोहम्मद 1/4पता चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शाहिद पुत्र बली मोहम्मद 1/4पता चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जाविद पुत्र बली मोहम्मद 1/4पता चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सविरुनिशा पुत्री बली मोहम्मद 1/4 पता चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	342/2/1	
6	बाहिद खां पिता मुनौवर खां मुसलमान पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	342/2/2	
7	सिराजुद्दीन पिता मुनौवर खां मुसलमान पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	342/2/3	
8	श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	349	0.0940
9	श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	350/1	0.1360
10	शशिकान्त पिता सभापति मिश्रा पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	350/2/1	
11	बाहिद खां पिता मुनौवर खां मुसलमान पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	350/2/2	
12	सिराजुद्दीन पिता मुनौवर खां मुसलमान पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	350/2/3	0.0130
13	श्रीकेश पिता बट्टी प्रसाद पाल पता कचलोहा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	348/1	
14	श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	348/2	0.0120

15	शशिकान्त पिता सभापति मिश्रा पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	351	0.0500
16	सिराज अहमद बली मोहम्मद सिराजुद्दीन वाहिद संर. पिता मुनौवर खां मुसलमान पता सा.चन्दकुइया भूमि स्वामी	354	0.0040
17	गीता प्रसाद पिता रामायण प्रसाद ब्रा पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	377/1	0.0110
18	गीता प्रसाद पिता रामायण प्रसाद ब्रा पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	378/1	0.1960
19	पार्वती गौतम पत्नी नीरज कुमार गौतम पता चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	379/1/1	0.0040
20	पार्वती गौतम पत्नी नीरज कुमार गौतम पता चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 977/1150 शैलेन्द्र पुत्र हरीदीन पता चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 173/1150	381/1/1	0.1850
21	रामसजीवन पिता सखिया काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166/1	0.026
22	लवकेश पिता रामसजीवन काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166/2	0.027
23	रामसजीवन पिता सखिया काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	167/1	0.099
24	रामविश्वास पिता सखिया काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	167/2	0.009
25	रामविश्वास पिता सखिया काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168	0.067
26	रामरूप पिता रामसजीवन काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	169	0.015
योग—			0.9740

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चन्दकुइया सब माइनर 1 एवं 2 नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-642-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 26 मार्च 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला --सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - कोल्हुवा

(घ) क्षेत्रफल- 1.8480 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं०	अर्जित रकवा (हे.मै.)
1	रामपाल कुशवाहा पिता दयाराम कुशवाहा जाति कुशवाहा पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/1/1	0.2190
2	रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा पिता भवानीदीन कुशवाहा जाति काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/2/1/1	0.0260
3	पुष्पराम पाण्डेय पिता अजय कुमार पाण्डेय पता सा.भिदारी पोस्ट सितपुरा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/2/2	0.1670
4	आशीष सिंह परिहार पिता जयनारायण सिंह परिहार पता ग्राम जाखी पोस्ट सितपुरा तहसील उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/1	0.0320
5	रामसुजान कुशवाहा पिता जगरूप कुशवाहा जाति काछी पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/2/1	0.0040
6	कौशल प्रसाद पिता बाबूलाल काछी पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/1/1/1	0.0640
7	शिशुपाल कुशवाहा पिता बाबूलाल कुशवाहा पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/1/1/2	0.0420
8	तीरथ प्रसाद कुशवाहा पिता रामफल कुशवाहा पता सा.कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/1/2	0.1230
9	राजामंडया बागरी पिता हीरालाल बागरी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/2/1/2/1	0.0020
10	मिजाजी पिता बुल्ली काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/2/2/1/1	0.0320
11	मनीराम कुशवाहा पिता बुल्ली कुशवाहा जाति काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/2/2/1/2	0.0620
12	प्यारेलाल कुशवाहा पिता बुल्ली कुशवाहा जाति काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/2/2/1/3	0.0650
13	शिशुपाल कुशवाहा पिता बाबूलाल कुशवाहा पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/1/2	0.0420
14	विद्याभूषण बागरी पिता राजमन बागरी पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/1	0.1050
15	विद्याभूषण बागरी पिता राजमन बागरी पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/2/1/1	0.0190
16	विद्याभूषण बागरी पिता राजमन बागरी पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/2/1/2	0.0840
17	कुती बेवा रामकरण, वंशराज पिता रामकरण, अरुणा पिता रामकरण, तरुणा पिता रामकरण काछी पता अमदरी सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/1	0.0350

18	रामशरण पिता कलुवा काछी पता अमदरी उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/2	
19	जगदीश प्रसाद बागरी पिता रामकृपाल बागरी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/1/1	0.1100
20	जगदीश प्रसाद बागरी पिता रामकृपाल बागरी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/1/2	0.0100
21	जगदीश प्रसाद बागरी पिता रामकृपाल बागरी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/2/1	0.0570
22	माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/3	0.0810
23	माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19	0.0450
24	माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1	0.0370
25	पुष्पेन्द्र सिंह पिता दलप्रताप सिंह पता जाखी सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/2	0.0160
26	माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16/1	0.0950
27	पुष्पेन्द्र सिंह पिता दलप्रताप सिंह पता जाखी सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16/2	0.0940
28	माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18	0.1050
29	देश पाल पिता रामफल बागरी पता जाखी सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14/1	
30	शिवकुमार कुशवाहा पिता मल्लू कुशवाहा जाति काछी 1/2 पता अमदरी उचेहरा सतना, शुभकरण कुशवाहा पिता शिवनारायण कुशवाहा 1/8 पता अमदरी उचेहरा सतना, मुन्नी कुशवाहा वेवा शिवनारायण कुशवाहा 1/8 पता अमदरी उचेहरा सतना, सुमित्रा कुशवाहा पुत्री शिवनारायण कुशवाहा 1/8 पता अमदरी उचेहरा सतना, शुभम कुशवाहा पिता शिवनारायण कुशवाहा 1/8 पता अमदरी उचेहरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	14/2	0.0300
31	सिपहिया पिता रामदास कोटवार जाति कोटवार पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/1	
32	फूलकुमारी सिंह परिहार पत्नी रामजी सिंह परिहार सा. जाखी तहसील-उचेहरा जिला-सतना (म.प्र.)	7/2	0.0450
33	माधव पिता रामदास कोटवार सिंह परिहार सा जाखी तहसील-उचेहरा जिला-सतना (म.प्र.)	7/3	
	कुल योग-		1.8480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सभाग्रामाक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस., कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-2542-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0067-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 13 मार्च 2025

(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्रमांक-30 सन 2013) अंतर्गत धारा-11)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति-इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि पर कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची(1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य	0.790

-:अनुसूची(2):-

- (1) भूमि का विवरण
 (क) जिला :- उज्जैन
 (ख) तहसील :- उज्जैन ग्रामीण
 (ग) ग्राम :- ढाबला रेहवारी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 0.790

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर में)	धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	361/2/2	0.001	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
2	361/2/3	0.010		
3	370	0.269		
4	369/1/1	0.090		
5	369/2	0.074		
6	368/1	0.063		
7	368/2	0.063		
8	371	0.220		
कुल रकबा		0.790		

अधिनियम की धारा -15(1) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग उज्जैन ग्रामीण के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग उज्जैन ग्रामीण कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2543-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0082-अ-82-2024-25

(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्रमांक-30-सं. 2013) अंतर्गत धारा-11)

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेक्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति-इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेक्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारित किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची(1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेक्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य	0.680

-:अनुसूची(2):-

- (1) भूमि का विवरण
 (क) जिला :- उज्जैन
 (ख) तहसील :- उज्जैन ग्रामीण
 (ग) ग्राम :- मंगरोला
 (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 0.680

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा(हेक्टर में)	धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	842/1	0.150	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेक्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
2	844/1	0.170		
3	845/1	0.030		
4	847	0.010		
5	986/1/1	0.180		
6	990/1	0.100		
7	993/1/1/2	0.020		
8	993/1/2/1/1	0.020		
कुल रकबा		0.680		

अधिनियम की धारा-15(1) अधीन रथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आपक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2599-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0086-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 17 मार्च 2025

**(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्रमांक-30 सन् 2013)अंतर्गत धारा-11)**

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्डड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्डड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

:-अनुसूची(1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्डड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य	2.972

:-अनुसूची(2):-

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| (क) जिला | : उज्जैन |
| (ख) तहसील | : उज्जैन ग्रामीण |
| (ग) ग्राम | : सांवराखेडी |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | : 2.972 |

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर में)	धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1.	155/1/1/1, 163/1/1, 172/2/1	0.200	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
2.	155/1/1/2, 163/1/1, 172/2/1	0.150		
3.	161/1/1/1/1, 161/2/1 मि. 162/2/1मि. 163/2/1 मि. 166/1/1 मि. 167/2/1 मि. 166/2/1/1 मि.	0.070		
4.	161/1/1/1/2/1 161/2/1 मि. 162/2/1 /1 मि. 163/2/1 मि. 166/1/1 मि. 167/2/1 मि. 166/2/1/1 मि.	0.150		
5.	161/1/2 162/2/2 163/2/2 166/1/2	0.105		
6.	166/2/1	0.031		
7.	167/1/1	0.074		
8.	167/2/2/1	0.080		
9.	168/1	0.314		
10.	176/1/2/2/2/1/1/1, 178/1/6	0.132		
11.	176/1/2/2/2/1/1/2, 178/1/6	0.016		
12.	176/1/2/2/2/1/2, 178/1/6	0.016		
13.	176/1/2/2/2/2, 178/1/6	0.016		
14.	176/1/2/2/3/1/2 178/1/7 मि.-1/ मि.-2	0.030		
15.	176/1/2/2/3/1/3, 178/1/7 मि.-1/ मि.-3	0.040		
16.	176/1/2/3/2/2, 178/1/7 मि.-2/मि.-2	0.030		

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर में)	धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
17.	176/1/2/3/2/3 178/1/7 मि.-2/ मि.-3	0.040	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
18.	121/1/2/1	0.112		
19.	121/1/2/2	0.080		
20.	119/2/1/1	0.050		
21.	120/3/1/2	0.025		
22.	120/3/2/1/2	0.040		
23.	119/1/1	0.040		
24.	119/2/1/2	0.040		
25.	120/1/1/2	0.050		
26.	120/2/1/1	0.023		
27.	120/2/1/2	0.027		
28.	118/1/1/1	0.040		
29.	117/1	0.080		
30.	117/2	0.090		
31.	118/2/1/1	0.050		
32.	116/1	0.040		
33.	116/2	0.039		
34.	116/3	0.039		
35.	116/4/1	0.019		
36.	116/4/2	0.020		
37.	190/1/7/1	0.030		
38.	115/2	0.040		
39.	115/3	0.040		
40.	115/4	0.040		
41.	188/1/1/1/1/2	0.004		
42.	188/1/2/3/1/1	0.017		
43.	115/5	0.040		
44.	188/1/1/2/1	0.040		
45.	188/1/1/2/2	0.040		
46.	188/1/2/2	0.010		
47.	188/2/4	0.010		
48.	188/1/3/4	0.020		
49.	188/1/3/2	0.010		
50.	188/1/3/3/1/1	0.005		
51.	188/1/3/3/2	0.036		
52.	188/1/3/5	0.020		
53.	188/1/4/1/1/1	0.019		
54.	190/1/5/1 मि.-1/ मि.-1	0.020		
55.	190/1/4/1	0.005		
56.	190/1/5/1/मि.-1/मि.-2	0.010		
57.	190/1/5/1 मि.-2	0.010		
58.	190/1/6/1	0.040	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
59.	190/1/6/3	0.030		
60.	190/1/7/3/मि.-1/1/1	0.005		
61.	190/1/7/3/मि.-1/1/2	0.008		
62.	181/1/1/2/1/2	0.025		
कुल रकबा		2.972		

अधिनियम की धारा-15(1) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग उज्जैन ग्रामीण के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग-उज्जैन-ग्रामीण कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-2872-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0046-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम भीकमपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरौद	भीकमपुर	4.266	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	जीवन पिता सवजी जाति गुर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	906/5	0.450	0.250	सिंचित
2	राजेश व सीमा पिता कैलाश व मुन्नीबाई बेवा कैलाश 1/4, रामचन्द्र व रमेश व राजूबाई पिता भेरुलाल 1/4, बद्रीलाल पिता लालजी 1/4, मांगुबाई बेवा बाबूलाल 1/4, जाति कुलम्बी पता खाचरौद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	910	0.950	0.159	सिंचित
3	राजेश व सीमा पिता कैलाश व मुन्नीबाई बेवा कैलाश 1/4, रामचन्द्र व रमेश व राजूबाई पिता भेरुलाल 1/4, बद्रीलाल पिता लालजी 1/4, मांगुबाई बेवा बाबूलाल 1/4, जाति कुलम्बी पता खाचरौद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	909	0.880	0.531	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
4	बद्रीलाल पिता लालजी 1/2, जगन्नाथ पिता लालजी 1/2, जाति कुलंबी पता पाड़सुत्था खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	907	0.650	0.098	सिंचित
5	बद्रीलाल पिता लालजी 1/2, जगन्नाथ पिता लालजी 1/2, जाति कुलंबी पता पाड़सुत्था खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	908	0.510	0.081	सिंचित
6	दुलीचन्द पिता लालजी जाति कुलंबी पता पाड़सुत्था उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	932	0.400	0.115	सिंचित
7	ललिताबाई पति बद्रीलाल जाति कुलम्बी पता पाड़सूतिया खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	934	0.570	0.096	सिंचित
8	मोहनलाल पिता लालजी जाति कुलंबी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	935	0.530	0.222	सिंचित
9	मोहनलाल पिता लालजी जाति कुलंबी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	937	0.300	0.220	सिंचित
10	बद्रीलाल पिता लालजी जाति कुलंबी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	936	1.050	0.374	सिंचित
11	जीतेन्द्र व विरमसिंह व अनीता पिता मदनलाल व अन्दरबाई पति मदनलाल व दर्यावसिंह व अंदरबाई पिता मादु व सौरमबाई व सुभाष व निर्मला व भावान नाबा पिता मोहन सर परमाता स्वयं व श्यामुबाई बेवा मोहन जाति गुर्जर पता भीकमपुर खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	923/1	1.470	0.667	सिंचित
12	अमरसिंह पिता देवीसिंह 1/2, मीराबाई पिता देवीसिंह 1/2, जाति गुर्जर पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	923/2	0.030	0.025	सिंचित
13	बद्रीलाल पिता लालजी जाति कुलंबी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	922	2.000	0.213	सिंचित
14	योगेश नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक विद्याबाई 1/6, चंचल नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक विद्याबाई 1/6, सुनीता नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक विद्याबाई 1/6, प्रियंका नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक विद्याबाई 1/6, ललिता मानसिक विकलांग नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक शांतिबाई 1/6, शांतिबाई बेवा रामरतन 1/6, जाति कुलम्बी पता भीकमपुर खाचरौद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	926	1.010	0.300	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
15	अमरसिंह पिता देवीसिंह 1/2, मीराबाई पिता देवीसिंह 1/2, जाति गुर्जर पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	925/4	0.790	0.038	सिंचित
16	अमरसिंह पिता देवीसिंह 1/2, मीराबाई पिता देवीसिंह 1/2, जाति गुर्जर पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	924	0.640	0.016	सिंचित
17	रामेश्वर पिता पृथ्वीराज 1/4, सुरतलाल पिता पृथ्वीराज 1/4, सत्यनारायण पिता पृथ्वीराज 1/4, रामकुंवर पिता पृथ्वीराज 1/4, जाति कुलंबी पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	915	2.950	0.130	सिंचित
18	सुगनबाई बेवा बगदीराम 1/4, बाबूलाल पिता बगदीराम 1/4, दिनेश पिता बगदीराम 1/4, संगीता पिता बगदीराम 1/4, जाति बलाई पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	916	1.480	0.646	सिंचित
19	दुलीचन्द पिता लालजी जाति कुलंबी पता पाड़सुत्या उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	914	0.310	0.085	सिंचित
कुल रकबा				4.266	

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-2873-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0015-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम आजमपुरा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घट्टिया	आजमपुरा	17.401	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्टर में	प्रभावित रकबा हेक्टर में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	वैभवकुमार पिता सुभाषचन्द्र पता आजमपुरा	500	3.000	1.085	सिंचित
2	शायरबाई पति कैलाश जाति गारी पता घट्टिया	502/2/2	0.500	0.001	सिंचित
3	श्यामूबाई बेवा जगन्नाथ, पवन पिता जगन्नाथ, मायाबाई पिता जगन्नाथ जाति आंजना पता आजमपुरा	502/3	1.000	0.413	सिंचित
4	जितेन्द्र पिता हाकमसिंह, विशाल पिता हाकमसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	498	0.990	0.057	सिंचित
5	संजय पिता बहादुरसिंह, श्रवण पिता बहादुरसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	503/1	1.000	0.362	सिंचित
6	जितेन्द्र पिता हाकमसिंह, विशाल पिता हाकमसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	503/2	1.240	0.726	सिंचित
7	हीरालाल पिता भेरूसिंह जाति आंजना पता घट्टिया	505/1	2.470	0.136	सिंचित

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
8	मोहनसिंह पिता भेरूसिंह जाति आंजना पता घट्टिया	505/2	0.570	0.180	सिंचित
9	केसरबाई बेवा भेरूसिंह जाति आंजना पता उज्जैन	504/1/1	0.400	0.061	सिंचित
10	मोहनसिंह पिता भेरूसिंह जाति आंजना पता घट्टिया	504/1/2	0.360	0.274	सिंचित
11	कमलसिंह पिता करणसिंह, सुंदरबाई बेवा करणसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	504/2	0.750	0.416	सिंचित
12	बद्रीलाल पिता तोलाराम जाति आंजना पता आजमपुरा	504/3	0.750	0.019	सिंचित
13	भादरसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा	492/1	3.640	0.099	सिंचित
14	हाकमसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा	492/2	3.060	1.070	सिंचित
15	हाकमसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा	497	0.710	0.129	सिंचित
16	भादरसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा	490/1	0.630	0.344	सिंचित
17	हाकमसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा	490/2	0.400	0.016	सिंचित
18	भादरसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा	491	1.070	0.374	सिंचित
19	गुलाबबाई पति केशरसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	453	1.870	0.067	सिंचित
20	अंतरसिंह पिता भेरूसिंह पता आजमपुरा	446/1	0.430	0.369	सिंचित
21	अंतरसिंह पिता भेरूसिंह पता आजमपुरा	446/2	0.400	0.042	सिंचित
22	अंतरसिंह पिता भेरूसिंह पता आजमपुरा	446/3	0.160	0.002	सिंचित
23	चंदरबाई पति रामेश्वर जाति आंजना पता उज्जैन	445	0.620	0.317	सिंचित
24	गोवर्धन पिता मोतीराम पता आजमपुरा	443/1	0.330	0.011	सिंचित
25	तोलाराम पिता मोतीराम जाति आंजना पता आजमपुरा	443/2	0.040	0.014	सिंचित
26	तोलाराम पिता मोतीराम, रामेश्वर पिता मोतीराम, गोपाल पिता मोतीराम, गोवर्धन पिता मोतीराम, गुलाबबाई पिता मोतीराम, रत्नाबाई पिता मोतीराम, शीयामिबाई पिता मोतीराम पता आजमपुरा	400	0.870	0.083	सिंचित
27	ईश्वर पिता मानसिंह जाति आंजना रितेश पिता मानसिंह, सीमाबाई बेवा मानसिंह, गुलाबबाई पति पुरालाल जाति आंजना	402/2	0.200	0.020	सिंचित
28	मोहनबाई पति जीवनसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	402/3	0.170	0.128	सिंचित

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
29	निलेश परतानी पिता सीताराम परतानी सधीर कुमार सोनी पिता निर्मल कुमार सोनी सुनील कुमार जैन पिता पारसमल जैन	414/2	0.620	0.042	सिंचित
30	जितेन्द्रसिंह पिता छत्तरसिंह	413/2/1	0.290	0.067	सिंचित
31	जीवनसिंह पिता तोलाराम जाति आंजना पता आजमपुरा	409/2	0.090	0.009	सिंचित
32	कमलसिंह पिता करण सिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	395/3	0.530	0.263	सिंचित
33	बहादुरसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	394/1/1	0.610	0.212	सिंचित
34	गोरधनसिंह पिता रामसिंह जाति आजना	394/1/2	0.600	0.176	सिंचित
35	पुरालाल पिता हरीराम जाति आंजना पता आजमपुरा	391	0.100	0.057	सिंचित
36	पुरालाल पिता हरीराम जाति आंजना पता आजमपुरा	392/1	0.960	0.328	सिंचित
37	कमलसिंह पिता देवीसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	390/1	0.140	0.037	सिंचित
38	चन्दरबाई पिता देवीसिंह आजमपुरा	389	0.080	0.071	सिंचित
39	कमलसिंह पिता देवीसिंह, अशोक पिता देवीसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	388	0.260	0.101	सिंचित
40	पुरालाल पिता हरीराम जाति आजना	385	0.380	0.011	सिंचित
41	राहुलसिंह पिता रोशनसिंह चौहान पता भोपाल, रंजीतसिंह पिता ज्ञानेंद्र सिंह सिसोदिया, रेशमा पिता गगनसिंह, मनोज पिता कैलाशसिंह, अदितिसिंह पिता ओमप्रकाशसिंह, मनीषकुमार पिता रामचरणवट, निर्मल पिता समंदरसिंह, इशरत जहाँ पिता जाकिर खान, मरलीधर पिता मंगलदास काछी पता उज्जैन, नफीसा पति फ़िरोज़ हुसैन पता धार,	69	0.200	0.200	आवासीय
42	भगवानसिंह पिता राजाराम जाति आजना	70	1.020	0.062	सिंचित
43	तेजा पिता रामप्रसाद पता आजमपुरा	75/1	0.410	0.098	सिंचित
44	संगीता पति प्रेमसिंह जाति आंजना	75/2	0.410	0.316	सिंचित
45	संगीता पति प्रेमसिंह जाति आंजना	76/1	1.420	0.431	सिंचित

46	अंशुबाई पति कमल पता आजमपुरा	76/2	0.300	0.215	सिंचित
47	मुकेश पिता नंदकिशोर जाति ब्राह्मण	76/3	0.300	0.123	सिंचित
48	मुकेश पिता नंदकिशोर जाति ब्राह्मण	76/4	0.400	0.051	सिंचित
49	महेश पिता हीरालाल जाति आंजना पता आजमपुरा	92/1	0.450	0.086	सिंचित
50	मुकेश पिता हीरालाल जाति आंजना पता आजमपुरा	92/2	0.520	0.325	सिंचित
51	बहादुरसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	103/3	0.520	0.162	सिंचित
52	महेश पिता हीरालाल जाति आंजना पता आजमपुरा	103/2/1	0.540	0.009	सिंचित
53	गोरधनसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	90/1	0.290	0.148	सिंचित
54	बहादुरसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	90/2	0.320	0.144	सिंचित
55	गोरधनसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा	88	0.550	0.146	सिंचित
56	विजय पिता राजाराम जाति आंजना पता आजमपुरा	89	2.720	0.868	सिंचित
57	जानीबाई पति कैशरसिंह (न्यायालय में प्रकरण लंबित है)	230/3/1	0.400	0.364	सिंचित
58	सजय पिता मानसिंह, सुगनबाई बेवा मानसिंह पता आजमपुरा	230/3/2	0.200	0.012	सिंचित
59	बद्रीलाल पिता रामसिंह पता आजमपुरा	230/3/3	0.200	0.135	सिंचित
60	भगवान पिता रामेश्वर, भारत पिता रामेश्वर, मजुबाई पिता रामेश्वर पता आजमपुरा	230/4	0.800	0.032	सिंचित
61	सजय पिता मानसिंह, पता आजमपुरा	230/2/2	0.400	0.027	सिंचित
62	पदमसिंह पिता भवरसिंह जाति अंजना पता आजमपुरा	229/1	0.940	0.315	सिंचित
63	रतनसिंह पिता अत्माराम जाति अंजना पता आजमपुरा	229/2	0.940	0.051	सिंचित
64	हीरालाल पिता नाथा जाति अंजना पता आजमपुरा	228/1	2.770	0.697	सिंचित
65	चंदरबाई जतनबाई तेजूबाई पिता हीरालाल	228/2	0.200	0.088	सिंचित
66	मुकेश पिता मानसिंह जाति अंजना पता आजमपुरा	238	1.290	0.476	सिंचित
67	अमरजी पिता किशनलाल पता निवासी	221	0.470	0.002	सिंचित

68	अंजू पिता मन्मूलाल जाति कुल्मी पता इंदौर	220	0.650	0.216	सिंचित
69	लालसिंह पिता भागीरथ पता आजमपुरा	239/2	0.620	0.014	सिंचित
70	पंकजकुमार पिता मन्मूलाल निवासी 105 खाती वाला टैंक इंदौर	212/1	2.060	0.308	सिंचित
71	अंजू पिता मन्मूलाल जाति कुल्मी पता इंदौर	212/2	0.290	0.142	सिंचित
72	रामसिंह पिता नाहरसिंह जाति बलई पता आजमपुरा	210/1	0.200	0.041	सिंचित
73	श्रीमति संगीता पति भारत निवासी काजीपुरा उज्जैन	210/2	0.100	0.091	सिंचित
74	श्रीमति संगीता पति भारत निवास काजीपुरा उज्जैन	209	0.700	0.193	सिंचित
75	हाकमसिंह आजना पिता भरवसिंह आजना, धनराज गोयल पिता रामचंद्र गोयल पता उज्जैन	202	0.400	0.034	सिंचित
76	हरजी पिता नाथा जाति चमार पता आजमपुरा	203	0.700	0.322	सिंचित
77	रोहित पिता जयंतीलाल जाति जैन पता साकेत नगर उज्जैन	204	0.700	0.172	सिंचित
78	मयाराम पिता नाथा, रोहीत पिता जयंतीलाल, हरजी पिता नाथा, तेजू बाई पिता शंकर राजू बाई पिता शंकर	200/1/1	2.840	0.203	सिंचित
79	दयाराम पिता नाथा जाति चमार पता आजमपुरा	199/2/3	0.300	0.141	सिंचित
80	भगवानसिंह पिता करणसिंह पता सोडग	199/2/2	0.400	0.254	सिंचित
81	रुग्नाथ पिता गोपाल पता आजमपुरा	199/2/1	1.220	0.298	सिंचित
82	दयाराम पिता नाथा जाति चमार पता आजमपुरा	199/1	0.590	0.033	सिंचित
83	रेखा पिता जितेन्द्र परमार जाति बलाई	199/2/4/1	0.200	0.013	सिंचित
84	देवीलाल पिता गोरधन जाति गारी पता निवासी सोडग	247/2/1	1.930	0.431	सिंचित
85	उदयसिंह पिता गोरधन जाति गारी पता आजमपुरा	247/2/2	1.100	0.452	सिंचित
86	राजाराम पिता गोरधनसिंह जाति गारी पता आजमपुरा	247/2/3	0.540	0.030	सिंचित
87	नेहा कामदार पति संजय कामदार पता मनोरमा गंज इंदौर	248	0.730	0.240	सिंचित
88	राजाराम पिता गोरधन सिंह जाति आजना	251/2	1.390	0.001	सिंचित
योग				17.401	

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-2874-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0023-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम सोड़ंग की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घट्टिया	सोड़ंग	6.764	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	पूजानागर पिता सूरज पता MIG इंद्रानगर उज्जैन	634	0.960	0.330	सिंचित
2	केशर पिता मयाराम जाति अँजना	633/1	0.600	0.011	सिंचित
3	पदमसिंह, श्रवण कुमार पिता शंकरलाल	574	0.580	0.275	सिंचित
4	अन्नूबाई विधवा रामचंद्र, कृष्णाबाई पिता रामचंद्र	575	0.580	0.241	सिंचित
5	अंतरसिंह पिता बापूजी जाति अँजना	576	1.320	0.479	सिंचित
6	अंतरसिंह पिता बापूजी जाति अँजना	606	1.150	0.005	सिंचित
7	निर्भय पिता बापूजी जाति अँजना	577/1	3.140	0.907	सिंचित
8	सुनील गोपाल पिता रामचंद्र जाति अँजना	577/2	2.40	0.028	सिंचित
9	सेवाराम पिता थावर जाति अँजना	596	0.580	0.201	सिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
10	राजाराम अँजना पिता भंवर सिंह जाति अँजना	595	0.400	0.253	सिंचित
11	राजाराम अँजना पिता भंवर सिंह जाति अँजना	593	0.210	0.088	सिंचित
12	राजाराम अँजना पिता भंवर सिंह जाति अँजना	594	0.330	0.330	सिंचित
13	राजाराम अँजना पिता भंवरसिंह जाति अँजना	584	1.050	0.747	सिंचित
14	राजाराम अँजना पिता भंवरसिंह जाति अँजना	591	0.060	0.057	सिंचित
15	राजाराम अँजना पिता भंवरसिंह जाति अँजना	592	0.070	0.001	सिंचित
16	बाबूलाल पिता भंवरसिंह जाति अँजना	590	1.300	0.352	सिंचित
17	पूराबाई पति भंवरसिंह जाति अँजना	585	1.450	0.603	सिंचित
18	राजाराम अँजना पिता भंवरसिंह जाति अँजना	582	2.060	0.490	सिंचित
19	राजाराम अँजना पिता भंवर सिंह जाति अँजना	436	0.310	0.163	सिंचित
20	राजाराम अँजना पिता भंवर सिंह जाति अँजना	437	0.400	0.086	सिंचित
21	जसवन्त सिंह पिता भेरुसिंह, भरत पिता भेरुसिंह	446/3	0.070	0.011	सिंचित
22	आशीषसिंह सिकरवार पिता शिवरामसिंह पता इन्दौर	442	0.270	0.009	व्यावसायिक
23	सौरभ नवनीत जैन पिता मनोहरलाल पता उज्जैन	444/2	0.290	0.016	व्यावसायिक
24	कमलसिंह पिता रामसिंह जाति अँजना	372	0.530	0.001	सिंचित
25	जीतेन्द्र पटेल पिता दयाराम जाति अँजना उज्जैन	374/2	0.060	0.002	व्यावसायिक
26	साहू प्रोगेसिव कारपोरेशन प्रायवेट लि. पता उज्जैन	377/1/1	0.100	0.037	आवासीय
27	साहू प्रोगेसिव कारपोरेशन प्रायवेट लि. पता उज्जैन	377/1/2	0.200	0.020	व्यावसायिक
28	संजय पिता लक्ष्मण जाति भांभी	377/2/2	0.030	0.030	सिंचित
29	भेरुलाल पिता हीरा जाति बलाई	379/2	0.100	0.016	सिंचित
30	बाबूलाल पिता भंवरसिंह जाति अँजना	586	1.910	0.720	सिंचित
31	बाबूलाल पिता भंवरसिंह जाति अँजना	587	0.710	0.118	सिंचित
32	देवीलाल पिता तोलाराम जाति अँजना पता घटिया	412/4	2.260	0.009	सिंचित
33	देवीलाल पिता तोलाराम जाति अँजना पता घटिया	425/2	0.280	0.002	सिंचित
34	महेश पिता मदनलाल जाति भाँबी	426/2/1	0.560	0.006	व्यावसायिक
35	मुबारिक पिता नजीर जाति नायता	431/1/2	0.850	0.011	सिंचित
36	शरीफ पिता नजरी जाति नायता	431/2	0.700	0.025	सिंचित
37	शांति पति गोरधन, बंसताबाई पति नारायण जाति भाँबी	431/3	0.050	0.004	सिंचित
38	आभा जैन पति रोहित पता उज्जैन	432/1	0.400	0.022	सिंचित
39	रईस खान पिता मोहम्मद जानलाला, तसनीम पति रईसखान जाति मुसलमान पता उज्जैन	432/2	0.660	0.042	व्यावसायिक
40	रईस खान पिता मोहम्मद जानलाला जाति मुसलमान पता उज्जैन भूमि स्वामी	432/3	0.200	0.008	व्यावसायिक
41	रोहित पिता जयन्तीलाल, वंदना पति राहुल जैन जाति जैन पता साकेत नगर सावेर रोड उज्जैन	434/1/2	0.400	0.008	व्यावसायिक
योग				6.764	

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-2875-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0038-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम मंगरोला की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा. लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	मंगरोला	12.401	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	मोहनसिंह पिता खडकसिंह पता मंगरोला	58	1.890	0.070	सिंचित
2	सीमा पति गजेंद्र जाति राजपूत पता उज्जैन	165/4	1.400	0.272	व्यावसायिक
3	मोतीसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला	167/3	0.010	0.010	सिंचित
4	लाड़कुंवरबाई पति सुभाषसिंह पता मंगरोला	181	1.290	0.580	सिंचित
5	मनोहरसिंह पिता मदनसिंह पता मंगरोला	180/2	0.920	0.030	सिंचित
6	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला	177	0.960	0.370	सिंचित
7	सुरेश पिता नारायण, सुनीन पिता नारायण, पवन पिता नारायण पता उज्जैन	168/2	0.300	0.010	सिंचित
8	गजेन्द्रसिंह पिता मोतीसिंह पता उज्जैन	56/2/3	0.610	0.350	सिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
9	राजूबाई बेवा भंवरसिंह कृष्णपालसिंह उर्फ धर्मेश मुकेशसिंह पिता भंवरसिंह व अजयसिंह रजतसिंह निशा पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत व संगीताबाई बेवा जगदीशसिंह पता मंगरोला	56/1	1.220	0.040	सिंचित
10	गजेन्द्र, महेश, शारदा पिता मोतीसिंह, कृष्णाबाई पति मोतीसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	169/1	0.010	0.010	सिंचित
11	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह माधवसिंह रघुवीर सिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला	171/1	0.390	0.350	सिंचित
12	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह माधवसिंह रघुवीर सिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला	171/3	0.010	0.010	सिंचित
13	बीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला	172	0.410	0.230	सिंचित
14	कोमल पति आनंदसिंह, लाड़कुंवर पति बसंतसिंह, लताकुंवर पति राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला	173/1	0.380	0.250	सिंचित
15	कोमल पति आनंदसिंह, लाड़कुंवर पति बसंतसिंह, लताकुंवर पति राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला	173/3	0.200	0.200	सिंचित
16	कोमल पति आनंदसिंह, लाड़कुंवर पति बसंतसिंह, लताकुंवर पति राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला	220/1	0.040	0.020	सिंचित
17	कोमल पति आनंदसिंह, लाड़कुंवर पति बसंतसिंह, लताकुंवर पति कोमल राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला	220/3	0.070	0.070	सिंचित
18	देवकुंवरबाई पति सुरेन्द्रसिंह राजपुत पता उज्जैन	217	1.550	0.005	सिंचित
19	सुगनबाई पति शंकरसिंह पता उज्जैन	218/1/1	0.130	0.070	सिंचित
20	गोपालसिंह पिता चम्पालाल जाति गारी पता उज्जैन	218/2/1	0.600	0.060	सिंचित
21	गोपालसिंह पिता चम्पालाल जाति गारी पता उज्जैन	264	1.950	0.030	सिंचित
22	गोपालसिंह पिता चम्पालाल जाति गारी पता उज्जैन	265/1	0.100	0.030	सिंचित
23	देवकुंवरबाई पति सुरेन्द्रसिंह राजपुत पता उज्जैन	266/1	0.150	0.080	सिंचित
24	देवकुंवरबाई पति सुरेन्द्रसिंह राजपुत पता उज्जैन	267	0.290	0.010	सिंचित
25	अनोपसिंह पिता जसवंतसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	303/2/1	0.270	0.170	सिंचित
26	शिवपालसिंह पिता अनोपसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	302/1/1	0.590	0.160	सिंचित
27	ममताबाई पति अनोपसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	302/2/1	0.420	0.020	सिंचित
28	ममताबाई पति अनोपसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	357/1	0.267	0.030	सिंचित

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
29	नंदनी कदम पति सौरभ कदम 101 नेहरू नगर नागझिरी उज्जैन	356/1/2	0.100	0.050	सिंचित
30	शंकरसिंह पिता मोतीसिंह पता उज्जैन	262	0.600	0.043	सिंचित
31	कोमल पति आनंदसिंह, लाड़कुंवर पति बसंतसिंह, लताकुंवर पति राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला	221/1	0.168	0.140	सिंचित
32	शंकरसिंह पिता मोतीसिंह पता उज्जैन	222	0.150	0.150	सिंचित
33	नरेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह पता उज्जैन	363/1	0.030	0.030	सिंचित
34	उत्तमसिंह पिता भंवरसिंह पता उज्जैन	365/1	0.040	0.040	सिंचित
35	सुदुलसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत पता मंगरोला	366/1	0.900	0.110	सिंचित
36	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा चंदरसिंह जाति राजपुत पता मंगरोला उज्जैन	227	0.580	0.214	सिंचित
37	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह, राहुल पिता दशरथसिंह पता मंगरोला	228	1.270	0.728	सिंचित
38	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा चंदरसिंह जाति राजपुत पता मंगरोला	225/1	0.130	0.130	सिंचित
39	तेजूबाई पति गोपालसिंह पता मंगरोला	261	1.320	0.392	सिंचित
40	बलवंतसिंह पिता मोतीसिंह पता मंगरोला	260	1.550	0.144	सिंचित
41	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा चंदरसिंह जाति राजपुत पता मंगरोला	226	0.400	0.400	व्यावसायिक
42	गजेन्द्र, महेश, शारदा पिता मोतीसिंह, कृष्णाबाई पति मोतीसिंह जाति राजपुत पता उज्जैन	225/2	0.120	0.120	सिंचित
43	राजूबाई बेवा भंवरसिंह कृष्णपालसिंह उर्फ धर्मद्र मुकेशसिंह पिता भंवरसिंह व अजयसिंह रजतसिंह निशा पिता जगदीशसिंह जाति राजपुत व संगीताबाई बेवा जगदीशसिंह पता मंगरोला	225/3	0.130	0.130	सिंचित
44	शंकरसिंह पिता मोतीसिंह पता उज्जैन	223	0.180	0.180	सिंचित
45	बलवंतसिंह पिता मोतीसिंह पता मंगरोला	259	0.490	0.490	सिंचित
46	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह पता मंगरोला राहुल पिता दशरथसिंह पता मंगरोला	229	0.050	0.050	व्यावसायिक
47	लीलाबाई वि० भंवरसिंह जी चन्द्रकांताबाई धनकुवरबाई पिता भंवरसिंह पता निवासी ग्राम	232	0.080	0.010	सिंचित
48	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह, राहुल पिता दशरथसिंह पता मंगरोला	230	0.050	0.050	व्यावसायिक
49	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह, राहुल पिता दशरथसिंह	224	0.090	0.090	व्यावसायिक

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
50	बबीताबाई बेवा दशरथसिंह, राहुल पिता दशरथसिंह	231	0.310	0.135	व्यावसायिक
51	जगदीशसिंह पिता भंवरसिंह पता मंगरोला	258/1	0.760	0.028	सिंचित
52	देवीसिंह पिता खडगसिंह पता मंगरोला	57	2.190	0.290	सिंचित
53	दमयन्तीबाई पति मदनलाल जाति गौड़ पता मंगरोला	50	1.240	0.120	सिंचित
54	सुगनबाई बेवा खडगसिंह पता मंगरोला	52	1.040	0.150	सिंचित
55	लाखनसिंह पिता पूरणसिंह पता उज्जैन	185	0.880	0.060	सिंचित
56	रणधीरसिंह पिता गिरवरसिंह पता मंगरोला	184	0.880	0.250	सिंचित
57	मनोहरसिंह पिता मदनसिंह पता मंगरोला	182	0.260	0.070	सिंचित
58	अशोक पिता मदनसिंह पता मंगरोला	183	1.430	0.790	सिंचित
59	विक्रमसिंह पिता उदेसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता उदेसिंह व मांगीबाई बेवा उदेसिंह पता मंगरोला	102	1.160	0.210	सिंचित
60	सुगनबाई पति मानसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला	102/1569	1.170	0.620	सिंचित
61	बुल्लूसिंह पिता बापूसिंह पता मंगरोला	129	2.160	0.490	सिंचित
62	सुरेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह पता मंगरोला	127	1.030	0.610	सिंचित
63	जगदीश पिता रामनारायण पता मंगरोला	126	1.110	0.010	सिंचित
64	विष्णुप्रसाद पिता रामनारायण पता मंगरोला	104	0.990	0.370	सिंचित
65	शिवप्रसाद पिता गिरधारीलाल पता मंगरोला	107	1.540	0.400	सिंचित
66	शिवप्रसाद पिता गिरधारीलाल पता मंगरोला	106/2	0.520	0.420	सिंचित
67	मनीषा शर्मा पति महेश शर्मा पता मंगरोला	105	0.980	0.120	सिंचित
68	द्रुपदसिंह पिता कैलाशसिंह जाति राजपूत	105/1567/1	0.500	0.030	सिंचित
योग				12.401	

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन ग्रामीण, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-2704-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0039-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 21 मार्च 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील नागदा जिला उज्जैन के ग्राम निम्बोदिया खुर्द की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	नागदा	निम्बोदिया खुर्द	19.376	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	कालूसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	7/1	0.160	0.121	सिंचित
2	किशोर पिता चुन्नीलाल 1/2, ईश्वर पिता चुन्नीलाल 1/2, जाति लुहार पता भीलसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय है।	10	0.530	0.028	सिंचित
3	कालूसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	11/1	0.390	0.070	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
4	लालसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/2	0.380	0.175	सिंचित
5	कालूसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	15/1	1.550	0.255	सिंचित
6	लालसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/2/1	0.770	0.450	सिंचित
7	शैतानसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/2/2	0.780	0.393	सिंचित
8	कालूसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	15/3	0.400	0.005	सिंचित
9	सुरेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	57/1	1.180	0.019	सिंचित
10	लोकेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	76	1.150	0.747	सिंचित
11	अर्जुन विक्रम पिता भंवरलाल श्यामूबाई पति भंवरलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	74/1	0.320	0.315	सिंचित
12	शांतिलाल पिता लालू जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74/2/1	0.330	0.125	सिंचित
13	मधुपालसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	78	1.680	0.287	सिंचित
14	नरसिंग पिता लालू जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	71/1	1.060	0.227	सिंचित
15	अर्जुन विक्रम पिता भंवरलाल श्यामूबाई पति भंवरलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	71/2	1.060	0.327	सिंचित
16	आनन्दीलाल पिता किशनजी जाति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	72	0.700	0.080	सिंचित
17	भगवानसिंह पिता सिद्धसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	80/2	0.940	0.001	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
18	स्वातिका डोडिया पति देवेन्द्र सिंह डोडिया जाति राजपूत पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87/1	0.600	0.211	सिंचित
19	सीताबाई पिता केरिंग 5/29, कलाबाई बेवा चंदर राधेश्याम मनोहर पिता चंदर 24/29, जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87/2/1	0.290	0.095	सिंचित
20	अभिराज बोडाना पिता आनंदीलाल जाति चंद्रवंशी बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87/2/2	0.300	0.249	सिंचित
21	अम्बाराम पिता बगदीराम जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	86/1	2.790	0.413	सिंचित
22	शंकर पिता बगदीराम जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	86/2	2.490	0.282	सिंचित
23	मदन पिता बगदीराम जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	86/3	2.500	0.414	सिंचित
24	भोला महेश पिता बाबुलाल मांगूबाई विधवा बाबुलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन द्वारा प्रदत्त भूमि अहस्तांतरणीय है,	85/1/2	0.900	0.246	सिंचित
25	कंचनबाई पति बाबूलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	85/1/3	1.000	0.696	सिंचित
26	बृजपाल पिता रामलाल, इन्दरलाल पिता रामलाल, जाति बोरसी पता 3 श्रीराम कालोनी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी	85/1/7	0.900	0.192	सिंचित
27	दुल्ला पिता नलवसिंह 1/4, रायसिंह पिता नलवसिंह 1/4, तेजूबाई पिता नलवसिंह 1/4, दर्यावबाई बेवा नलवसिंह 1/4, जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/2/1	0.480	0.017	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
28	स्वातिका राठोर पति देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/2/2	0.470	0.044	सिंचित
29	आनन्दीलाल पिता किशनजी जाति बागरी पता उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी,	88	0.370	0.305	सिंचित
30	रामकिशोर, भारत, राधाबाई, रुखमबाई, चन्दाबाई, मन्जुबाई पिता जगदीश व केसरबाई बेवा जगदीश जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 70/110, विष्णुबाई पति मोहन जाति बागरी पता पिपलोदा संगोती माता नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी 40/110,	95/1/1	1.100	0.083	सिंचित
31	प्रेमबाई बेवा रामलाल, श्रवण पिता रामलाल, जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	208/1	0.900	0.349	सिंचित
32	सीताबाई पति बाबूलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	208/5	1.000	0.589	सिंचित
33	बालीबाई पति गिरधारी जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय शासन द्वारा प्रदत्त अहस्तांतरणीय है,	208/6	1.000	0.294	सिंचित
34	देवीसिंह पिता पुना जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	204	0.440	0.440	सिंचित
35	सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह डोडिया पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	203/1/1	0.760	0.191	सिंचित
36	सुभद्राकुवर बेवा रुपसिंह 1/4, लोकेन्द्रसिंह पुत्र रुपसिंह 1/4, विष्णुकुवर पुत्री रुपसिंह 1/4, संगीताकुवर पुत्री रुपसिंह 1/4, जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/1/2	0.400	0.039	सिंचित
37	सोहनसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	203/1/3	0.200	0.003	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
38	सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह डोडिया पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	203/2	0.140	0.054	सिंचित
39	माया बाई पति मुकेश जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	239/1/1	0.320	0.320	सिंचित
40	सजनबाई पति कन्हैयालाल जाति चमार पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	239/1/2/1	0.310	0.115	सिंचित
41	धीरेन्द्र सिंह पुत्र लोकेन्द्र सिंह डोडिया 1/2, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह डोडिया 1/2, पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	239/4	0.900	0.320	सिंचित
42	गंगारामनाथ, मागुनाथ, विनोदनाथ, ताराबाई, राधाबाई, पैपाबाई पिता बापूनाथ व कमलाबाई बेवा बापूनाथ जाति कालबेलिया पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भूमि	239/5	0.350	0.070	सिंचित
43	नरभेसिंह पिता बाबरु जाति बागरी पता अमळावदिया नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	239/6	0.900	0.520	सिंचित
44	रामकुवरबाई पिता कालूनाथ जाति कालबेलिया पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	239/7	0.450	0.450	सिंचित
45	श्रवण पिता अमरु जाति चमार पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	239/9	0.550	0.355	सिंचित
46	बालाराम पिता पीरुलाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	199/1	0.320	0.007	सिंचित
47	बालाराम पिता पीरुलाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	199/2	0.100	0.001	सिंचित
48	गोरेलाल पिता रामाजी जाति बंजारा पता पिपलौदा सागोती माता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	241	0.640	0.640	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै.)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
49	भादरसिंह पिता बनेसिंह 1/2, दिलीपसिंह पिता बनेसिंह 1/2, जाति राजपूत पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	259	0.500	0.500	सिंचित
50	गंगाराम पिता तुलसिया 1/2, मांगीलाल पिता तुलसिया 1/2, जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	258/1	0.480	0.480	सिंचित
51	भगवानसिंह पिता पुना जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	258/2	0.490	0.490	सिंचित
52	मदन पिता नरसिंह, गोपाल पिता नरसिंह, राधेश्याम पिता नरसिंह, लालू पिता नरसिंह, रामसिंह पिता नरसिंह, सम्पतबाई पिता नरसिंह, जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	258/3	0.490	0.490	सिंचित
53	जुम्माबाई पति पेमा जाति बन्जारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	240	0.620	0.620	सिंचित
54	गीताबाई पति विश्राम जाति चमार पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय शासन द्वारा प्रदत्त भूमि अहस्तांतरणीय है,	253/4	1.000	0.853	सिंचित
55	श्रावणनाथ, कालुनाथ, बबलुनाथ, काकुनाथ, गोकुलनाथ, विष्णुबाई पिता शंभूनाथ जाति कालबेलिया पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	253/5	1.310	0.001	सिंचित
56	भंवरनाथ पिता हीरानाथ जाति कालबेलिया पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी,	253/7	1.000	0.275	सिंचित
57	जानीबाई पति चतरु जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	256	1.080	0.490	सिंचित
58	रतन पिता रामा जाति बन्जारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	257/1	0.870	0.567	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
59	गिरधारी पिता भावसिंग जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	257/2	0.800	0.465	सिंचित
60	तेजराम पिता रतनलाल जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	255	1.250	0.500	सिंचित
61	पपीताबाई पति मुकेश जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	269/1/2/3	0.200	0.007	सिंचित
62	बदामीबाई पति दिनेश जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	269/1/2/4	0.200	0.105	सिंचित
63	गोरधन पिता शंकर जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	254/2	0.850	0.488	सिंचित
64	शंभूलाल उर्फ नारायण पिता शंकरलाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	254/3	0.850	0.020	सिंचित
65	शोभाराम पिता कनीराम जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भूमि अहस्तांतरणीय है	254/4	0.850	0.033	सिंचित
66	कमलाबाई पति गोरूलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,	242/2	0.480	0.169	सिंचित
67	गोरूलाल पिता रामाजी जाति बंजारा पता पिपलोदा सागोती माता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	242/1/2	0.500	0.007	सिंचित
68	बालाराम पिता पीरूलाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	198/1	0.420	0.042	सिंचित
69	शांताबाई बेवा विजयसिंह नरेन्द्रसिंह माया ज्योति कम्मू सुजाता नाबापिता विजयसिंह नाबा सरमाता शांताबाई कलाकुंवर पति बनेसिंह कृष्णाकुंवर गट्टाकुंवर पिता बनेसिंह हेमंतकुंवर वि भंवरसिंह टिमटिमकुंवर पूजाकुंवर पि. भंवरसिंह अंतरकुंवर पोपसिंह पिता प्रह्लादसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा म. प्र. भूमि स्वामी,	260	1.590	0.876	सिंचित
70	उदा पिता धन्ना जाति बंजारा पता पिपलोदा सागोतीमाता नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी	261	0.820	0.088	सिंचित
71	रत्नन पिता घासी जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	267	0.650	0.102	सिंचित
72	माना भागीरथ पिता कालू पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, हेमा पिता गोपाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	268	0.650	0.079	सिंचित
कुल रकबा				19.376	

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-2864-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.99-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च 2025

**(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा-11)**

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक बार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामायात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।	1.86 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (क) जिला | :- उज्जैन |
| (ख) तहसील | :- उज्जैन ग्रामीण |
| (ग) ग्राम | :- सेवरखेडी |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 1.86 हेक्ट. |

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	110/2	0.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलाखेडी परियोजना के अंतर्गत वैराज निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
2	110/3	0.06		
3	110/6	0.11		
4	110/7	0.20		
5	111	0.14		
6	169	0.05		
7	168	0.02		
8	172	0.03		
9	175/1/3	0.01		
10	175/1/2	0.02		
11	175/1/1	0.01		
12	175/5	0.01		
13	188	0.23		
14	173	0.05		
15	198	0.02		
16	199	0.02		
17	220	0.41		
18	221	0.40		
	योग	1.86 हे.		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-2865-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.97-अ-82-2024-25

**(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा-11)**

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक चार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यत निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

--अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।	3.24 हेक्टर

--अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन ग्रामीण
(ग) ग्राम	:- कडछली
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 3.24 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकमा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	42/1/1	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
2	42/2	0.12		
3	42/1/2	0.06		
4	189	0.32		
5	190	0.05		
6	192	0.32		
7	193/1/1	0.04		
8	193/1/2	0.04		
9	193/2	0.11		
10	194	0.14		
11	376/2	0.37		
12	377	0.05		
13	378/1	0.18		
14	379	0.47		
15	380/1	0.04		
16	380/2	0.56		
17	522	0.25		
18	523	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
	योग	3.24		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-2866-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.98-अ-82-2024-25

**(भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा-11)**

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामायात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।	35.04 हेक्टर

--:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उज्जैन ग्रामीण

(ग) ग्राम

:- सिलारखेडी

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 35.04 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	0.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
2	3	1.34		
3	4/1	0.57		
4	52	0.02		
5	4/2	0.57		
6	6/3/1	0.28		
7	7/3/2	0.09		
8	7/4/1	0.06		
9	4/3	0.21		
10	5/1/1	0.09		
11	5/2/1	0.09		
12	5/3/1	0.09		
13	5/4/1	0.10		
14	7/1	0.20		
15	7/2	0.20		
16	7/3/1	0.03		
17	5/1/2	0.15		
18	5/2/2	0.15		
19	5/3/2	0.14		
20	5/4/2	0.13		
21	6/1	0.75		
22	6/2/1	0.37		
23	6/2/2/1	0.20		
24	24/2/1/2	0.28		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी मूमि रकबा (हेक्टे.में)	आराधन के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
25	9/2/2	0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
26	6/2/2/2	0.18		
27	47/1	0.35		
28	6/3/2	0.24		
29	7/4/2	0.07		
30	7/5	0.12		
31	6/3/3	0.23		
32	7/6	0.20		
33	9/3/1	0.14		
34	9/1	0.38		
35	24/1	0.37		
36	9/2/1	0.21		
37	24/2/1/1	0.10		
38	9/3/2	0.25		
39	9/3/3	0.39		
40	10/1	0.18		
41	10/2	0.17		
42	10/3	0.17		
43	27/1/1	1.12		
44	10/4	0.17		
45	11/1	0.49		
46	11/2	0.20		
47	12	0.64		
48	13/1	0.32		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा ११२ के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
49	13/2	0.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
50	14	2.42		
51	26	0.50		
52	15/1/1	0.37		
53	15/1/2	0.37		
54	15/2	0.37		
55	19/1	0.08		
56	19/3	0.09		
57	19/4	0.09		
58	20	1.07		
59	16	0.49		
60	16/210	0.49		
61	16/211	0.49		
62	17	0.84		
63	19/2	0.09		
64	21	0.60		
65	22/1	0.36		
66	22/2	0.96		
67	30	0.21		
68	23	0.93		
69	24/2/2	0.74		
70	27/1/2	0.08		
71	27/2	0.23		
72	28	2.82		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-15 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
73	29	0.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
74	31/1	0.54		
75	32/1/1/1	0.26		
76	32/1/1/2	0.17		
77	32/3	0.25		
78	34/1	0.13		
79	31/2/1	0.54		
80	32/1/2/1	0.28		
81	31/2/2	0.07		
82	39	0.03		
83	36	0.42		
84	36/212	0.79		
85	37	0.10		
86	38	0.04		
87	47/2	0.14		
88	49/1	0.20		
89	49/2	0.28		
90	49/5	0.28		
91	18	1.01		
92	49/3	0.14		
93	49/4	0.28		
94	50/1	0.08		
95	51/1	0.11		
96	51/2	0.30		
	योग	35.04		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकते हैं।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।



क्र.-2867-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.100-अ-82-2024-25

**(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा-11)**

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम को धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।	5.14 हेक्टर

--:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	: उज्जैन
(ख) तहसील	: उज्जैन ग्रामीण
(ग) ग्राम	: कल्याणपुरा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	: 5.14 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	कार्यालय के अंतर्गत धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	110	0.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
2	112	0.06		
3	336	0.06		
4	337	0.03		
5	339	0.15		
6	109/2	0.02		
7	109/3	0.30		
8	109/4	0.07		
9	108/4	0.08		
10	114/2	0.13		
11	119/1	0.02		
12	129/2	0.08		
13	108/5	0.35		
14	114/1	0.27		
15	111	0.51		
16	322	0.14		
17	106/1	0.05		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
18	118/1	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
19	118/2	0.20		
20	119/2	0.08		
21	126	0.07		
22	128/1	0.10		
23	136	0.04		
24	138/1	0.06		
25	142/2/2	0.04		
26	142/2/1	0.07		
27	139	0.04		
28	141	0.06		
29	151	0.02		
30	284/1	0.57		
31	284/2	0.57		
32	286	0.07		
33	292	0.04		
34	315	0.06		
35	321/1	0.02		
36	321/2/1	0.08		
37	321/2/2	0.09		
38	323	0.02		
39	332/2/1	0.02		
40	332/1/1	0.16		
41	333	0.06		
42	334/1	0.06		
	योग	5.14 हे.		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-2868-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.96-अ-82-2024-25

**(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा-11)**

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक चार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अन्तर्गत धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।	10.86 हेक्टेयर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन ग्रामीण
(ग) ग्राम	:- दाऊखेडी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 10.86 हेक्टेयर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टेयर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	18	0.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
2	21	1.28		
3	22	1.66		
4	23	0.49		
5	76/1	0.48		
6	76/2	0.48		
7	76/3	0.94		
8	80	0.22		
9	81/1	0.44		
10	81/2	0.31		
11	254	0.86		
12	256	0.33		
13	258	0.03		
14	259	1.23		
15	264	0.36		
16	260	0.36		
17	261	0.26		
18	262	0.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
19	263	0.50		
20	265	0.09		
	योग	10.86 हे.		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-2749-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0072-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च 2025

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेड्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेड्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेड्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	हेक्टर

-अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन
(ग) ग्राम	:- पालखेंडी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 7.292 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु मिजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	0.495	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	3/2	0.513		
3	7	0.638		
4	8	0.030		
5	21	0.272		
6	23/1	0.156		
7	18/1	0.001		
8	18/2	0.298		
9	22	0.220		
10	24/1/2	0.115		
11	17	0.026		
12	16	0.063		
13	44/1	0.033		
14	42/1	0.998		
15	42/3	0.030		
16	47	0.001		
17	48	0.007		
18	43	0.889		
19	50	0.014		
20	55	0.471		
21	54/4	0.193		
22	53	0.066		
23	56/1/1	0.472		
24	56/1/2	0.816		
25	57	0.475		
कुल रकबा		7.292		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2750-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0075-अ-82-2024-25

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक बार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामायात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	हेक्टर

-अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन
(ग) ग्राम	:- गोंदिया
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 18.799 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	229	0.540	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेड्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	230/1	0.010		
3	230/2	0.440		
4	230/987	0.350		
5	232/1	0.430		
6	231/1/1	0.020		
7	231/1/2	0.210		
8	231/2	0.270		
9	247	0.330		
10	270/1	0.130		
11	249/2/1	0.040		
12	249/2/2	0.070		
13	248	0.360		
14	249/3/1	0.120		
15	268/1	0.130		
16	268/2	0.100		
17	267/1	0.050		
18	267/2	0.240		
19	250	0.220		
20	266	0.210		
21	264	0.350		
22	263	0.300		
23	514	0.400		
24	515	0.440		
25	513/1	0.040		
26	513/2	0.220		
27	516	0.030		
28	509	0.770		
29	508	0.520		
30	982	0.080		
31	817/1	0.430		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
32	814	0.530	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
33	813	0.130		
34	811/936	0.040		
35	808/1	0.100		
36	807	0.560		
37	841/1	0.460		
38	841/2	0.400		
39	840	0.080		
40	843/1	0.200		
41	843/2	0.120		
42	842/1	0.140		
43	764	0.020		
44	763	0.010		
45	762	0.080		
46	761	0.020		
47	759/1	0.020		
48	759/2	0.150		
49	760/1	0.050		
50	760/2	0.100		
51	753/1	0.320		
52	754/988/1	0.010		
53	753/2	0.160		
54	754/988/2	0.140		
55	752/2	0.070		
56	754	0.020		
57	751	0.080		
58	750/1	0.460		
59	749/1	0.340		
60	680	0.020		
61	749/2	0.050		
62	742/1	0.130		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
63	742/2	0.160	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेड्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
64	743/1	0.080		
65	743/2	0.470		
66	732/973	0.010		
67	730/1	0.410		
68	731/1	0.009		
69	731/3/1	0.050		
70	730/2	0.140		
71	730/3	0.230		
72	731/3/2	0.160		
73	723/1	0.030		
74	723/2	0.300		
75	723/3	0.300		
76	723/4	0.450		
77	719	0.080		
78	722	0.020		
79	883/1	0.090		
80	883/2	0.580		
81	884	0.270		
82	881/1/2	0.020		
83	881/2	0.020		
84	881/3	0.010		
85	882/1	0.010		
86	882/2	0.040		
योग		16.799		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2751-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0076-अ-82-2024-25

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11

भूँके राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	हेक्टर

-अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन
(ग) ग्राम	:- लिम्बापिपलिया
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 19.985 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	571	0.010	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	595/1	1.170		
3	595/2	0.240		
4	572	0.060		
5	594	0.410		
6	578/2/1	0.020		
7	578/2/2	0.010		
8	578/1	0.030		
9	589/2	0.540		
10	579/2	0.030		
11	588	0.060		
12	589/1	0.470		
13	587	0.110		
14	586/1	0.420		
15	586/2	0.220		
16	585	0.650		
17	584/1	0.110		
18	584/2	0.010		
19	619/7	0.380		
20	619/5	0.150		
21	541	0.720		
22	539/1/2	0.050		
23	539/2	0.590		
24	540	0.060		
25	502/1	0.640		
26	502/2	0.040		
27	501/1	0.060		
28	500	0.450		
29	499/1	0.020		
30	499/2	0.780		
31	498/1/2	0.840		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
32	498/2	0.025	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
33	496	0.330		
34	497	0.430		
35	495/1	0.420		
36	125	0.510		
37	124	0.540		
38	126	0.310		
39	110	0.130		
40	109/1	0.170		
41	109/2	0.160		
42	109/3	0.180		
43	108/3	0.340		
44	108/2	0.340		
45	97	0.790		
46	98	0.690		
47	99	0.140		
48	38/2	0.800		
49	41/1	0.060		
50	41/2	0.050		
51	41/3	0.140		
52	39/2/2	0.290		
53	39/2/1	0.010		
54	40/1	0.480		
55	27	0.940		
56	28/2	0.160		
57	29	0.140		
58	12	0.910	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
59	15	0.220		
60	14	0.910		
योग		19.965		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2752-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0077-अ-82-2024-25

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	हेक्टर

-:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन
(ग) ग्राम	:- हासनपुरा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 14.217 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु मिजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	147	0.152	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(मप्र)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	149	0.719		
3	151	0.793		
4	202/1	0.309		
5	199/1	0.536		
6	199/2	0.256		
7	201	0.605		
8	235/1	0.050		
9	235/2	0.070		
10	236	0.149		
11	197/1	0.060		
12	197/2	0.350		
13	237	0.186		
14	238	0.271		
15	239	0.183		
16	240	0.475		
17	241/1	0.005		
18	244/1	0.754		
19	244/2	0.111		
20	246	0.089		
21	243	0.613		
22	267	0.726		
23	268	0.588		
24	265/2	0.029		
25	269	0.090		
26	264/1	0.248		
27	270/1	0.060		
28	270/2	0.930		
29	404/1	0.253		
30	404/2	0.254		
31	405	0.463		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
32	403/1	0.050	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सहक विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
33	406/3	0.620		
34	408/2	0.001		
35	428/1/1	0.197		
36	427/1/1	0.020		
37	427/1/2	0.010		
38	425/1/1	0.045		
39	426/1	0.150		
40	426/2/1	0.060		
41	422/2/1	0.308		
42	422/1/1	0.220		
43	417/2	0.571		
44	417/3	0.513		
45	418/2	0.012		
46	419/1	0.065		
47	418/1	0.181		
48	420/1	0.206		
49	421/3	0.340		
50	421/2	0.271		
योग		14.217		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2753-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0071-अ-82-2024-25

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	हेक्टर

-अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन
(ग) ग्राम	:- धितामन जवासिया
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 0.568 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	321/1	0.016	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	333/2	0.020		
3	326/2/3/2	0.064		
4	325/2	0.001		
5	326/1/2	0.013		
6	327/1/2	0.233		
7	396/1/1/2	0.059		
8	397/1/1	0.003		
9	398/1/2	0.007		
10	400	0.032		
11	401/1	0.058		
12	401/2	0.062		
कुल रकबा		0.568		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आवेगो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2876-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0070-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च 2025

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11)

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यत निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	हेक्टर

-अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उज्जैन

(ग) ग्राम

:- चौदमुख

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 5.123 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	3/1	0.547	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	3/2	0.490		
3	4	0.017		
4	3/3	0.372		
5	30	0.778		
6	33	0.167		
7	31/1	0.130		
8	31/2	0.120		
9	31/3	0.197		
10	32	0.360		
11	58	0.280		
12	60/1	0.144		
13	61	0.001		
14	62/1	0.029		
15	62/3	0.416		
16	66	0.216		
17	68/1	0.154		
18	68/2	0.201		
19	68/3	0.053		
20	69	0.223		
21	70/2	0.044		
22	70/1	0.184		
कुल रकबा		5.123		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र.-03-अ-82-2024-25-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 मार्च 2025

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टनल निर्माण में अनुपयोगी मटेरियल हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टनल निर्माण में अनुपयोगी मटेरियल हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--अनुसूची--

1.भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम--कामती प0ह0न0-35 ब0न0-19 रा0नि0म0- चौरई	1. संजयकुमार, शरदकुमार पिता श्रीधर जैन निवासी ग्राम भूमिस्वामी	113/1 113/2	0.008	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टनल निर्माण में अनुपयोगी मटेरियल हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में
		कुल योग		02	0.008 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र.क्र.-011-अ-82-2024-25-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1.भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-कुहिया प0ह0न0-52 /67 ब0नं0-70 रा0नि0म0-पिन्डरई कला	1.जितेन्द्र कुमार पिता गोविन्दसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	398/3	0.104	ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में
		कुल योग		01	0.104 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पांडुर्णा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-2116-भू-अर्जन-2025

पांडुर्णा, दिनांक 25 मार्च 2025

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	पांडुर्णा
ख.	तहसील	पांडुर्णा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- मुयारी प.ह.नं. 32 ब.नं. 297 रा.नि.मं. तिगांव
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा - 41.781 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	69/2	0.572
2	70	0.684
3	97/2	0.425
4	71	0.773
5	96/2	0.303
6	72	0.688
7	82/1	0.663
8	73	0.882
9	74	0.773
10	75	0.926
11	76	0.894
12	77/1	0.222
13	78/1	0.223
14	85/1	0.101
15	104/2	0.162
16	105	0.607
17	77/2	0.223
18	78/2	0.111
19	78/3	0.111
20	85/2	0.101
21	104/1	0.162
22	79	0.934
23	82/3	0.816
24	80	0.797
25	82/2	0.298

26	83	0.672
27	81/1	0.148
28	98/1	0.182
29	81/2	0.148
30	81/3	0.149
31	86/2	0.119
32	98/2	0.183
33	84/1	0.235
34	86/1	0.059
35	103/1	0.263
36	84/2	0.235
37	86/4	0.059
38	103/2	0.263
39	86/3	0.119
40	98/3	0.182
41	99	0.971
42	88/1	0.866
43	88/2	0.866
44	90	1.740
45	91	0.890
46	92/1	0.669
47	92/2	0.269
48	93/1	1.068
49	93/2	1.927
50	94	0.405
51	95	0.644
52	96/1	0.396
53	96/3	0.260
54	101	0.348
55	102	0.360
56	97/1	0.465
57	55/1	0.150
58	55/2	0.381
59	55/3	0.220
60	55/4	0.150
61	55/5	0.150

62	55/6	0.110
63	55/7	0.110
64	57	1.238
65	58	1.396
66	59/1	0.698
67	59/2	0.698
68	60/1	0.512
69	60/2	0.513
70	60/3	0.513
71	61	1.619
72	62	0.910
73	63/1	0.405
74	63/2	0.405
75	63/3	0.404
76	64	0.789
77	65	0.745
78	66	0.534
79	67	0.478
80	68	0.801
81	69/1	0.241
योग :-		कुल रकबा - 41.781 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत बैलेसिंग रिजर्वयर (पांडुर्णा बांध) निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड एवं <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) व प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग सौसर/पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय देव शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2025

भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्रमांक-853-म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2025.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 10 सितम्बर 2021 में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 364-2021-CLR-आबादी-भू सर्वेक्षण 2021 ग्वालियर, दिनांक 09 सितम्बर 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बन्द किया जाता है।

भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्रमांक-855-म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2025.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 02 अप्रैल 2021 में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 182-2021- CLR -भू सर्वेक्षण 2020 ग्वालियर, दिनांक 02 अप्रैल 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बन्द किया जाता है।

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.